

उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य

उत्तर प्रदेश राज्य भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है एवं भौगोलिक क्षेत्रफल¹ की दृष्टि से यह भारत का पाँचवा बड़ा राज्य एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2001 में 16.62 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013 में 20.63 करोड़² हो गई। राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत 21.92 प्रतिशत के सापेक्ष 29.43 प्रतिशत था। पुनः वर्ष 2012–13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य (2004–05) पर ₹ 7,69,729 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 56.27 प्रतिशत (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 69.72 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई। राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ₹ 33,269 थी।

उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य आंकड़े, उदाहरणार्थ जनसंख्या घनत्व, शिशु मृत्यु दर एवं शिशु जन्म दर आदि परिशिष्ट 1.1 में दिये गये हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दिये गये समयावधि में राज्य में उत्पादित सभी आधिकारिक रूप से स्वीकृत अंतिम सामग्रियों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। इसका विकास, राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को सूचित करता है। वर्तमान मूल्य (आधार वर्ष 2004–05) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ सारणी 1.1 में दी गयी हैं।

सारणी 1.1: वर्तमान मूल्य (आधार वर्ष 2004–05) पर देश के सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	53,03,567	61,08,903	72,66,967	83,53,495	94,61,013
सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर (प्रतिशत में)	15.70	15.20	19.00	15.00	13.30
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,12,151	4,91,302	5,88,467	6,87,836	7,69,729
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर (प्रतिशत में)	15.27	19.20	19.78	16.89	11.91

(स्रोत: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निदेशक, आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशालय)

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार ने 1 जून 2012 को वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए बजट प्रस्तुत किया। बजट भाषण के अनुसार, राज्य सरकार ने 280 नई योजनाएँ शुरू कीं जिसके लिए ₹ 13,650 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विस्तार हेतु ₹ 33,263 करोड़, अवस्थापना सुविधाओं के लिए ₹ 23,592 करोड़, समाज कल्याण योजनाओं हेतु ₹ 14,951 करोड़, चिकित्सा एवं

¹ 2.41 लाख वर्ग किमी

² पुनरीक्षित अग्रिम आगणन

₹ 23,592 करोड़, समाज कल्याण योजनाओं हेतु ₹ 14,951 करोड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार एवं विस्तार हेतु ₹ 7,034 करोड़ तथा कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों हेतु ₹ 5,432 करोड़ का बजट प्रावधान किया।

यह अध्याय उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के वर्ष 2012–13 के वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है एवं विगत पांच वर्षों की अवधि के समग्र संघटकों को ध्यान में रखते हुए मुख्य राजकोषीय समूहों का वर्ष 2011–12 की तुलना में समीक्षात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण राज्य सरकार के वित्त लेखे एवं उसमें निहित सूचनाओं के आधार पर किया गया है।

राज्य सरकार के लेखे की संरचना **परिशिष्ट 1.2** भाग—आ और वित्त लेखे की रूपरेखा **परिशिष्ट 1.2** भाग—ब में दर्शाया गया है।

1.1.1 वर्ष 2012–13 में राजकोषीय लेन–देनों का सारांश

सारणी 1.2 में राज्य सरकार के वर्ष 2012–13 के राजकोषीय लेन–देनों का सारांश प्रस्तुत है तथा **परिशिष्ट 1.3** में वर्ष 2012–13 की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ–साथ राजकोष की समग्र स्थिति प्रस्तुत है।

सारणी 1.2: वर्ष 2012–13 में राजकोषीय लेन–देनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ		संवितरण				
	2011-12	2012-13		2011-12	2012-13	
भाग—अ: राजस्व						
राजस्व प्राप्तियाँ	1,30,869.70	1,45,903.98	राजस्व व्यय	1,23,885.17	1,14,845.73	25,877.91
कर राजस्व	52,613.43	58,098.36	सामान्य सेवायें	52,946.92	59,119.18	787.54
करेतर राजस्व	10,145.30	12,969.98	सामाजिक सेवायें	47,390.94	32,235.57	21,064.75
संघीय करों/शुल्कों का अंश	50,350.95	57,497.85	आर्थिक सेवायें	18,292.21	17,311.74	4,025.62
भारत सरकार से अनुदान	17,760.02	17,337.79	सहायता अनुदान एवं अंशदान	5,255.10	6,179.24	-
भाग—ब: पूँजीगत एवं अन्य						
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	पूँजीगत परिव्यय	21,573.96	1,225.78	22,608.51
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	133.17	418.80	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	975.57	619.49	383.75
लोक ऋण प्राप्तियाँ	19,652.30	15,819.95	लोक ऋणों की अदायगी	8,287.61	8,909.04	-
आकस्मिकता निधि	39.89	309.65	आकस्मिकता निधि	309.64	262.45	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,38,449.36	1,43,477.51	लोक लेखा संवितरण	1,30,970.76	1,29,471.51	-
प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष	10,304.99	13,446.70	अंतिम रोकड़ अवशेष	13,446.70	15,172.42	-
योग	2,99,449.41	3,19,376.59	योग	2,99,449.41	2,70,506.42	48,870.17
						3,19,376.59

(स्रोत: वित्त लेखे 2011–12 एवं 2012–13)

वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 के राजकोषीय लेन देनों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए:

- **राजस्व प्राप्तियों** में वर्ष 2011–12 की तुलना में ₹ 15,034 करोड़ (11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः कर राजस्व (₹ 5,485 करोड़, 10 प्रतिशत) एवं केन्द्रीय करों में राज्यांश (₹ 7,147 करोड़, 14 प्रतिशत) के कारण थी। ₹ 1,45,904 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,56,688 करोड़³ के पुनरीक्षित अनुमान से कम (₹ 10,784 करोड़) थी।
- **कर राजस्व** में वर्ष 2011–12 की तुलना में ₹ 5,485 करोड़ (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि करों (₹ 1,763 करोड़; पांच प्रतिशत), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 1,643 करोड़; 20 प्रतिशत) एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (₹ 1,048 करोड़; 14 प्रतिशत) का विगत वर्ष के सापेक्ष हुई वृद्धियों में योगदान था। ₹ 58,098 करोड़ का कर राजस्व पुनरीक्षित अनुमान के ₹ 60,472 करोड़ के लक्ष्य से कम था परन्तु तेरहवें वित्त आयोग के आकलन (₹ 47,065 करोड़) से अधिक था।
- **करेतर राजस्व** में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष ₹ 2,825 करोड़ (28 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह तेरहवें वित्त आयोग के आकलन से (₹ 3,483 करोड़) एवं राज्य के पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 828 करोड़) से कम थी।
- **भारत सरकार से सहायता अनुदान** में वर्ष 2011–12 (₹ 17,760 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2012–13 (₹ 17,338 करोड़) में ₹ 422 करोड़ (दो प्रतिशत) की कमी हुई।
- **केन्द्रीय करों और शुल्कों** में राज्य के अंश में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष ₹ 7,147 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह (₹ 57,498 करोड़) पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 59,528 करोड़) से ₹ 2,030 करोड़ कम थी।
- **राजस्व व्यय** में वर्ष 2011–12 की तुलना में ₹ 16,839 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि यह (₹ 1,40,724 करोड़) पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 1,51,142 करोड़) से कम था।
- **राजस्व व्यय के अन्तर्गत आयोजनेत्तर व्यय** में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष ₹ 13,577 करोड़ (13 प्रतिशत) एवं आयोजनागत व्यय में ₹ 3,262 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर व्यय, तेरहवें वित्त आयोग (₹ 38,536 करोड़, 50 प्रतिशत) के आकलन से बहुत अधिक था।
- **पूंजीगत व्यय** (₹ 23,834 करोड़) में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष ₹ 2,260 करोड़ (10 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास आदि में पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि होने के कारण थी, यद्यपि यह पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 26,147 करोड़) से कम थी।
- **ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली** (₹ 419 करोड़) में वर्ष 2011–12 की तुलना में ₹ 286 करोड़ (215 प्रतिशत) की वृद्धि हुई परन्तु यह पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 559 करोड़) से ₹ 140 करोड़ (25 प्रतिशत) कम थी। ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण (₹ 1,003 करोड़) भी पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 1,168 करोड़) से कम था।

³ मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति 2013 को प्रस्तुत करता है।

- **लोक ऋण प्राप्तियों** (₹ 15,820 करोड़) में वर्ष 2011–12 की तुलना में ₹ 3,832 करोड़ (19 प्रतिशत) की कमी आई जो कि राज्य के ऋण प्रबंधन में सुधार को दर्शाता है बावजूद इसके कि 2011–12 के सापेक्ष पुनर्भुगतान में ₹ 621 करोड़ की वृद्धि हुई।
- **लोक लेखों की प्राप्तियों** में (₹ 1,43,478 करोड़) वर्ष 2011–12 की तुलना में ₹ 5,029 करोड़ (चार प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः उचंत एवं विविध शीर्षों के अवशेषों में ₹ 9,761 करोड़ (11 प्रतिशत) की वृद्धि के फलस्वरूप थी जो कि प्रेषण में ₹ 2,751 करोड़ (15 प्रतिशत) एवं निक्षेपों और अग्रिमों में ₹ 1,922 करोड़ (18 प्रतिशत) की हुई कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित थी।
- **लोक लेखा संवितरण** में वर्ष 2011–12 की तुलना में ₹ 1,499 करोड़ (एक प्रतिशत) की मामूली कमी दर्ज हुई।
- वर्ष 2012–13 में आकस्मिकता निधि से ₹ 262.45 करोड़ के प्रत्याहरण की प्रतिपूर्ति शेष थी।
- **नकद अवशेषों** (₹ 15,172 करोड़) में विगत वर्ष के ₹ 13,447 करोड़ की तुलना में ₹ 1,725 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, फरवरी 2004 में पारित किया गया था जिसमें अर्थव्यवस्था के विकास एवं स्थिरता के लिए दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व था कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति विधान सभा में रखे जिसमें निर्धारित राजकोषीय सूचकांकों को पांच वर्षों में प्राप्त करने का परिवर्तनीय लक्ष्य निर्धारित हो एवं अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु नियम बनाये। अधिनियम को अक्टूबर 2006 में अधिसूचित किया गया। अधिनियम में प्रावधानित राजकोषीय सिद्धान्त को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार के लिए निम्नलिखित वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गये:

- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले पांच वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राज्यस्व घाटा शून्य पर लाया जाना।
- राजकोषीय घाटे को प्राककलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक तक कम किया जाना। यद्यपि, अर्थव्यवस्था में व्यापक मन्दी को देखते हुये भारत सरकार ने राज्यों को उनका वित्तीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की थी।
- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले 14 वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करना कि अन्तिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व उस वर्ष के लिए प्राककलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।
- यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात

राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं दी जाये।

- इसके अतिरिक्त, आन्तरिक गड़बड़ियों या दैवीय आपदाओं से उपजी अप्रत्याशित मांग को इस शर्त के साथ कि आपदा को प्रदान की गई वास्तविक राजकोषीय लागत से अधिक न हो, को छोड़कर, राजस्व घाटा और वित्तीय घाटा अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा को नहीं लांघ सकता है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप राज्य सरकार ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 में संशोधन किया (सितम्बर 2011) तथा स्वयं के लिए वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 की अवधि में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ विकसित किया जिसका मुख्य उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना एवं धीरे–धीरे वर्ष 2014–15 तक ऋण के स्तरों में कमी लाना था। **सारणी 1.3** में विस्तृत विवरण दिया गया है।

सारणी 1.3: राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल देयता (जी.एस.डी.पी के प्रतिशत में)
2011-12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	46.9
2012-13	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	45.1
2013-14	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	43.4
2014-15	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	41.9

(झोल: उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना)

बजट में उपबंधित मुख्य परिवर्ती कारक तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य पर आधारित है, जिसे **सारणी 1.4** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.4: वर्ष 2012–13 में राज्य का निष्पादन

मुख्य राजकोषीय लक्ष्य	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य / प्रक्षेप	पुनरीक्षित अनुमान द्वारा निर्धारित लक्ष्य	पंचवर्षीय वित्तीय योजना में प्रक्षेप / एम.टी.एफ.पी.	वास्तविक आंकड़े
राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	शून्य घाटा	शून्य घाटा	(+) 5,546	(+) 5,546	(+) 5,180
राजकोषीय घाटा (-) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं अर्थात ₹(-) 23,092 करोड़	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं अर्थात ₹(-) 23,092 करोड़	2.91 प्रतिशत	2.91 प्रतिशत	2.5 प्रतिशत
कुल बकाया ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 45.1 प्रतिशत अर्थात ₹ 3,47,148 करोड़	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 45.1 प्रतिशत अर्थात ₹ 3,47,148 करोड़	30.10 प्रतिशत	30.10 प्रतिशत	33.73 प्रतिशत

(झोल: तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट एवं उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना)

वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर राज्य सरकार के पास ₹ 5,180 करोड़ का राजस्व आधिक्य था, साथ ही राजकोषीय घाटे तथा कुल बकाया ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में भी कमी हुई। इस प्रकार राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुए। यद्यपि वर्ष 2012–13 के अंत में कुल बकाया ऋण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात पुनरीक्षित बजट अनुमान द्वारा निर्धारित

लक्ष्य (30.10 प्रतिशत) एवं पंचवर्षीय राजकोषीय योजना द्वारा किए गये अनुमान से अधिक (33.73 प्रतिशत) था।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक आँकड़े

पुनरीक्षित अनुमान


प्राप्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का उद्देश्य राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना था जिसमें मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों (₹ 59,528 करोड़) में राज्य के अंश में वृद्धि लाना था तथा व्ययों में सामाजिक सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 59,081 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय: ₹ 8,506 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 62,176 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय: ₹ 1,914 करोड़) की ओर केन्द्रित करना था। राज्य सरकार ने अपने बजट अनुमानों में राजकोष के अंतर्गत राजस्व आधिक्य और राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे का आकलन किया।

पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक आँकड़े

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों का विवरण है। राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमानों में शुद्धता के महत्व को व्यापक रूप से समग्र आर्थिक प्रबन्धन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से किसी प्रकार का विचलन या तो ऐसी घटनाओं के घटित होने जिसका कि पूर्व में अनुमान न किया जा सका हो अथवा बजट की तैयारियों के स्तर पर ही व्ययों या राजस्व प्राप्तियों का कम/अधिक अनुमान वांछित राजकोषीय उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की ओर संकेत करते हैं।

वर्ष 2012–13 के पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष वास्तविक आँकड़े चार्ट 1.1 और परिशिष्ट 1.4 में दिए गये हैं।

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय प्राचल: वर्ष 2012–13 के दौरान पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक स्थिति



(स्रोत: बजट एवं वित्त लेख 2012-13)

- वर्ष 2012–13 में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 1,45,904 करोड़) पुनरीक्षित अनुमान (₹ 1,56,688 करोड़) से ₹ 10,784 करोड़ कम थी। वर्ष 2012–2013 में राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व में क्रमशः ₹ 2,374 करोड़ (चार प्रतिशत) और ₹ 828 करोड़ (छः प्रतिशत) की कमी हुई। स्वयं के कर राजस्व में कमी मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि कर (₹ 1,746 करोड़; पांच प्रतिशत) एवं राज्य आबकारी कर (₹ 288 करोड़; तीन प्रतिशत) में कमी के

कारण हुई। करेतर राजस्व में कमी मुख्यतः विविध सामान्य सेवाओं (₹ 420 करोड़; नौ प्रतिशत) एवं ब्याज प्राप्तियों (₹ 236 करोड़; 17 प्रतिशत) में कमी होने के कारण हुई।

- वर्ष 2012–13 में राजस्व व्यय (₹ 1,40,724 करोड़) में पुनरीक्षित अनुमान (₹ 1,51,142 करोड़) के सापेक्ष कमी हुई। यह कमी (₹ 10,418 करोड़) विकास व्ययों (सामाजिक सेवाओं: ₹ 5,781 करोड़; 10 प्रतिशत एवं आर्थिक सेवाओं: ₹ 2,302 करोड़; 10 प्रतिशत) में पायी गई। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत कमी मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 2,620 करोड़), श्रम एवं श्रम कल्याण (₹ 1,123 करोड़) तथा सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 1,120 करोड़) में कम व्यय होने के कारण हुई। इसी प्रकार, आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत कमियाँ मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 1,023 करोड़), कृषि एवं अन्य सम्बद्ध सेवाओं (₹ 679 करोड़) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 530 करोड़) के कारण हुई कमी तथा परिवहन मद के अंतर्गत अधिक व्यय (₹ 148 करोड़) के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।
- वर्ष 2012–13 में ब्याज की अदायगी (₹ 16,921 करोड़) पर हुआ व्यय पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 16,498 करोड़) से ₹ 423 करोड़ (दो प्रतिशत) अधिक था।
- पूँजीगत व्यय पुनरीक्षित बजट अनुमान की तुलना में ₹ 2,313 करोड़ (नौ प्रतिशत) कम था। यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में ₹ 912 करोड़ (11 प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं में क्रमशः ₹ 892 करोड़ (छः प्रतिशत) एवं ₹ 510 करोड़ (27 प्रतिशत) कम व्यय होने के कारण हुई।
- राजस्व आधिक्य वर्ष 2012–13 के अन्त में ₹ 5,546 करोड़ के पुनरीक्षित बजट अनुमान के सापेक्ष ₹ 366 करोड़ (सात प्रतिशत) कम था। यद्यपि, वर्ष 2012–13 में राजकोषीय घाटे (₹ 19,238 करोड़) में पुनरीक्षित अनुमान (₹ 21,210 करोड़) के सापेक्ष ₹ 1,972 करोड़ (नौ प्रतिशत) का आधिक्य था। प्राथमिक घाटा अच्छी तरह से प्रबन्धित था क्योंकि यह पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 4,712 करोड़) के सापेक्ष ₹ 2,317 करोड़ था।

वर्ष 2012–13 में प्राप्तियों एवं व्ययों का पैटर्न तैयार किये गये मूल बजट के स्तर से भिन्न था। परिशिष्ट 1.4 में भिन्नता की स्थिति दर्शायी गयी है।

1.1.4 राज्य सरकार की राजकोषीय नीति संबंधी विवरण

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अपने बजट में स्वयं के कर राजस्व में 22 प्रतिशत (2011–12 के सापेक्ष) की वृद्धि की घोषणा की एवं तदनुसार वर्ष 2012–13 की अवधि में विभिन्न उपभोज्य एवं अनुपभोज्य मदों के कर आधार में वृद्धि के प्रस्ताव दिये। जैसे कि उ0प्र० वैट अधिनियम, 2008 के अनुसूची–V में उल्लिखित मदों पर व्यापार कर में अतिरिक्त वृद्धि (0.5 प्रतिशत) की गई। फिजिकल एक्सरसाइजर, स्वस्थता उपकरण एवं शहद पर पांच प्रतिशत कर लगाया गया। मेडिकेटेड साबुन, शैम्पू, एंटीसेप्टिक क्रीम, प्लाईवुड, फलश डोर आदि पर मौजूदा पांच प्रतिशत कर को बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दिया गया।

राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में हुई वृद्धि (प्रतिशत में) सारणी 1.5 में दिया गया है। यह वर्ष 2012–13 में स्वयं के कर राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा के विरुद्ध 10.42 प्रतिशत की वृद्धि इंगित करती है।

सारणी 1.5: स्वयं के कर राजस्व

विवरण	धनराशि
वर्ष 2011–12 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़े (₹ करोड़ में)	52,613
वर्ष 2012–13 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़े (₹ करोड़ में)	58,098
वर्ष 2012–13 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़ों में वृद्धि (₹ करोड़ में)	5,485
वर्ष 2012–13 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़ों में वृद्धि (प्रतिशत में)	10.42

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन


राज्य सरकार के संसाधनों के अंतर्गत दो स्रोत राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेतर राजस्व, राज्यों के संघीय करों एवं शुल्क तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित होते हैं। पूँजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत प्रकीर्ण पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा विनिवेशों से प्राप्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियाँ एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों के साथ ही साथ लोक लेखे से उपार्जित प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

सारणी 1.2 राज्य सरकार के वर्ष 2012–13 में वार्षिक वित्त लेखे में अंकित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है। **चार्ट 1.2** कुल प्राप्तियों की संरचना दर्शाता है।


चार्ट 1.3 वर्ष 2008–13 में राज्य में प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति तथा

चार्ट 1.4 वर्ष 2012–13 में राज्य के संसाधनों के संघटकों को प्रदर्शित करता है।

चार्ट 1.2: कुल प्राप्तियों के संघटक




चार्ट 1.3: राज्य की आकस्मिकता निधि से प्राप्ति को छोड़कर प्राप्तियों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.4: वर्ष 2012-13 में प्राप्तियों के घटक



(स्रोत: वित्त लेखे 2012-13)

वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 3,05,931 करोड़ थी। इसमें से राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,45,904 करोड़, पूँजीगत प्राप्तियाँ ₹ 16,239 करोड़, आकस्मिकता निधि से प्राप्तियाँ ₹ 310 करोड़ और लोक लेखा प्राप्तियाँ ₹ 1,43,478 करोड़ थी। पुनः, कुल प्राप्तियाँ में वर्ष 2008-13 की अवधि में ₹ 1,06,139 करोड़ (53 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 3,05,931 करोड़ हो गई।

चार्ट 1.4 यह दर्शाता है कि कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 48 प्रतिशत था जबकि लोक लेखा प्राप्तियाँ 47 प्रतिशत एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ पांच प्रतिशत थी।

1.2.2 राज्य बजट के बाहर राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को हस्तान्तरित धनराशियाँ

भारत सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों, जो कि दोषग्राही माने गये हैं, के क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे वृहद मात्रा में धनराशियाँ हस्तान्तरित की जाती हैं। चूंकि वर्तमान तंत्र में ये धनराशियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से परिचालित नहीं होती हैं इसलिए राज्य के वार्षिक वित्त लेखे में इनका उल्लेख नहीं किया जाता है। इस प्रकार राज्य के वार्षिक वित्त लेखे में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संसाधनों का पूर्ण विवरण परिलक्षित नहीं होता है।

वर्ष 2012–13 में ₹ 9,631.63 करोड़ की केन्द्रीय निधि राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित की गई। भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रम, जिनको धनराशियाँ हस्तान्तरित की गई थी, **सारणी 1.6** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.6: राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित धनराशियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र० रां०	कार्यक्रम/परियोजना	राज्य में क्रियान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा सीधे हस्तान्तरित धनराशियाँ	
			2011-12	2012-13
1	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मण्डलायुक्त, ग्रामीण विकास	4,240.48	1,695.78
2	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	उ. प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ	213.77	शून्य
3	सर्व शिक्षा अभियान	निदेशक, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना बोर्ड	2,097.33	2,880.74
4	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	505.90	1,398.88
5	ग्रामीण आवास इंदिरा आवास योजना	ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ	1,680.43	1,175.53
6	ग्रामीण पेयजल— त्वरित पेयजल आपूर्ति योजना	प्रबंध निदेशक, उ. प्र. जल निगम, लखनऊ	802.32	982.01
7	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ	271.78	341.57
8	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	जिलाधिकारी	276.00	559.50
9	एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	168.91	129.31
10	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	निदेशक, पंचायती राज संस्थान, लखनऊ	169.20	289.76
11	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	राजकीय शहरी विकास अभिकरण, उ० प्र०	57.73	47.07
12	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन	ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ	63.26	64.70
13	हथकरघा	निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्र	0.04	0.05
14	शोध एवं विकास समर्थन	विभिन्न सांविधिक निकाय आदि, जैसे आई.आई.टी. कानपुर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	शून्य	18.90
15	एकीकृत तेलहन, दाल, मक्का विकास	विभिन्न सरकारी स्वायत्त निकाय	6.67	8.53
16	औषधीय पौधे	सरकारी स्वायत्त निकाय	1.80	8.39
17	समाजिक आर्थिक विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	समुदाय अनुप्रयुक्त विज्ञान हेतु रवैचिक संरथान	85.38	5.28
18	नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय अभियान	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	6.31	0.57
19	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	कृषि-वन हेतु राष्ट्रीय शोध केन्द्र	5.28	4.52
20	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	केन्द्रीय एवं राजकीय सांविधिक निकाय, पी.एस.यू. आदि	1.71	2.71
21	पंचायती राज संस्थानों स्वैच्छिक संगठन स्वमदद हेतु सहायता	विभिन्न गैर सरकारी संगठन जैसे शहीद स्मारक समिति	1.68	0.82
22	जैव प्रौद्योगिकी विभाग में अनुसंधान एवं विकास	विभिन्न सांविधिक निकायों, स्वायत्त निकायों आदि उदाहरणार्थ आई.आई.टी. कानपुर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	26.53	17.01
योग			10,682.51	9,631.63


(स्रोत: वित्त लेखे 2012-13)

सारणी 1.6 में दर्शाया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ₹ 892.98 करोड़ (177 प्रतिशत), सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹ 783.41 करोड़ (37 प्रतिशत) तथा कुल स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ₹ 120.56 करोड़ (71 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इसी प्रकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ₹ 2,544.70 करोड़ (60 प्रतिशत), इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ₹ 504.90 करोड़ (30 प्रतिशत) तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क क योजना के अंतर्गत ₹ 213.77 करोड़ (100 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण कमी हुई।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ


वित्त लेखे के विवरण-11 में राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तान्तरण तथा भारत सरकार के सहायता अनुदान सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2008–13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना चार्ट 1.5 में प्रस्तुत की गयी हैं एवं क्रमशः चार्ट 1.5 एवं 1.6 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.5: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.6: वर्ष 2008–13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के संघटक



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.5 यह इंगित करता है कि वर्ष 2012–13 में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियों में ₹ 15,035 करोड़ की वृद्धि (11.49 प्रतिशत) हुई। वर्ष 2008–13 की अवधि में प्राप्तियाँ अनवरत रूप से बढ़ते हुए ₹ 77,831 करोड़ से ₹ 1,45,904 करोड़ हो गयी। **चार्ट 1.6** यह वर्णित करता है कि वर्ष 2012–13 में ₹ 71,068 करोड़ स्वयं के स्रोतों से प्राप्त हुए तथा शेष ₹ 74,836 करोड़ भारत सरकार के संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 57,498 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 17,338 करोड़) से प्राप्त हुए।

वर्ष 2012–13 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को निवल प्राप्तियों का अधिक आवंटन, व्यापार कर अधिनियम के अंतर्गत अधिक कर संग्रह तथा प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत अन्य प्राप्तियों एवं माध्यमिक शिक्षा में मान्य फीस के अधिक संग्रह के कारण थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्तियाँ सारणी 1.7 में प्रस्तुत की गई हैं।

सारणी 1.7: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	77,831	96,421	1,11,184	1,30,869	1,45,904
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.34	23.89	15.31	17.70	11.49
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	18.88	19.63	18.89	19.03	18.96
उत्प्लावनता अनुपात⁴					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता	0.874	1.244	0.774	1.048	0.964
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावनता	0.971	0.948	1.079	1.657	0.88
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता	0.901	1.312	0.717	0.633	1.10
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,12,151	4,91,302	5,88,467	6,87,836	7,69,729
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर	15.27	19.20	19.78	16.89	11.91

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

सारणी 1.7 से देखा गया कि:

- वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता में 0.084 की कमी आयी। वर्ष 2009–10 और वर्ष 2011–12 में राजस्व प्राप्तियों की विकास दर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर में समानता थी। यद्यपि, वर्ष 2008–09, 2010–11 और 2012–13 की अवधि में प्राप्तियों में हुई वृद्धि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि के समानुपातिक नहीं थी।

⁴उत्प्लावनता अनुपात राजकोषीय चर की, आधार चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलापन की मात्रा को इंगित करता है। उदाहरणार्थ वर्ष 2008–09 के लिए राजस्व उत्प्लावनता का मान 0.8 का अर्थ है कि जी.एस.डी.पी. की एक प्रतिशत की बढ़त होने पर राजस्व प्राप्ति में 0.8 प्रतिशत की बढ़त होगी।

- राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावनता सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में वर्ष 2011–12 में 1.657 से कम होकर वर्तमान वर्ष के दौरान 0.88 हो गयी।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्यांश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है, इसलिए संसाधन के संग्रहण में राज्य का निष्पादन उसके स्वयं के संसाधन के रूप में निर्धारित किया गया था। राज्य के स्वयं के संसाधन के अंतर्गत स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व शामिल हैं।

वर्ष 2008–13 की अवधि में करों एवं शुल्कों तथा करेतर राजस्व की प्राप्तियों का सकल संग्रह **परिशिष्ट 1.6** में दिया गया है। स्वयं के संसाधन वर्ष 2008–09 में ₹ 35,426 करोड़ से बढ़कर (101 प्रतिशत) वर्ष 2012–13 में ₹ 71,068 करोड़ हो गये।

सारणी 1.8 में वर्ष 2012–13 में राज्य के वास्तविक कर एवं करेतर राजस्व प्राप्तियों की तुलना तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्य सरकार के पुनरीक्षित बजट अनुमानों से की गयी है।

सारणी 1.8: तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित और राज्य द्वारा पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2012–13 के वास्तविक कर एवं करेतर राजस्व प्राप्तियाँ
(₹ करोड़ में)

विवरण	तेरहवें वित्त आयोग का आकलन	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक आंकड़े
कर राजस्व	47,064.54	62,057.06	60,472.14	58,098.36
करेतर राजस्व	9,487.18	14,173.82	13,798.08	12,969.98

(स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ, राज्य बजट एवं वर्ष 2012–13 के वित्त लेखे)

तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2012–13 के राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹ 11,033.82 करोड़ (23 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि वर्ष 2012–13 में स्वयं के कर राजस्व के बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित बजट अनुमान की तुलना में ₹ 2,373.78 करोड़ (चार प्रतिशत) तथा ₹ 3,958.70 करोड़ (छ: प्रतिशत) की कमी हुई। इसी प्रकार, वर्ष 2012–13 में करेतर राजस्व में तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय अनुमान की तुलना में ₹ 3,482 करोड़ (37 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, करेतर राजस्व में वर्ष 2012–13 के बजट अनुमान तथा पुनरीक्षित बजट अनुमान की तुलना में ₹ 828.10 करोड़ (छ: प्रतिशत) तथा ₹ 1,203.84 करोड़ (आठ प्रतिशत) की कमी हुई।

1.3.1.1 कर राजस्व

वर्ष 2008–13 की अवधि के कर राजस्व के घटक **सारणी 1.9** दिये गये हैं।

सारणी 1.9: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	17,482	20,825	24,837	33,107	34,870	5
राज्य उत्पाद	4,720	5,666	6,723	8,139	9,782	20
वाहनों पर कर	1,125	1,404	1,817	2,376	2,993	26
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	4,138	4,562	5,975	7,694	8,742	14
भू-राजस्व	549	663	1,134	491	805	64
माल एवं यात्री पर कर	266	271	242	5	1	(-80)
अन्य कर	379	487	382	801	905	13
योग	28,659	33,878	41,110	52,613	58,098	10

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.9 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2012–13 में कर राजस्व पुनरीक्षित बजट अनुमान से ₹ 2,374 करोड़ कम था। यद्यपि, कर राजस्व में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष ₹ 5,485 करोड़ (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो कि भू–राजस्व, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टॉम्प एवं पंजीकरण शुल्क तथा वाहन कर की वसूली में वृद्धि के कारण हुई। राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि 'कन्ट्री स्पीरिट' विदेशी मदिरा तथा स्पीरिट एवं अनुज्ञाप्ति शुल्क पर राजस्व की अधिक वसूली के कारण हुई। वाहन कर में वृद्धि वाहनों की बिक्री पर करों की वसूली एवं राज्य मौटर वाहन कराधन अधिनियम के अंतर्गत अधिक कर संग्रहण के कारण हुई। यद्यपि, माल एवं यात्री कर के अंतर्गत कर संग्रहण में तीक्ष्ण कमी आई जो कि वर्ष 2008–09 में ₹ 266 करोड़ से वर्ष 2012–13 में एक करोड़ हो गई।

1.3.1.2 करेतर राजस्व

राज्य सरकार को करेतर राजस्व मुख्यतः शिक्षा, ऊर्जा, ब्याज, वानिकी एवं वन्य जीवन, उद्योग, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रिया कलापों से प्राप्त होता है। वर्ष 2012–13 में राज्य के करेतर राजस्व की विकास दर **सारणी 1.10** में दी गयी है।

सारणी 1.10: करेतर राजस्व की विकास दर

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	(₹ करोड़ में) विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
ब्याज प्राप्तियाँ	964	604	689	789	1,186	50.32
लाभांश एवं लाभ	50	27	27	38	63	65.79
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	5,753	12,970	10,460	9,318	11,721	25.79
योग	6,767	13,601	11,176	10,145	12,970	27.85

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.10 यह इंगित करता है कि करेतर राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में कुल 28 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 2,825 करोड़) हुई। यह वृद्धि ब्याज प्राप्तियों, विविध सामान्य सेवाओं एवं अन्य करेतर राजस्व के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण थी। वर्ष 2012–13 में नकद अवशेष के निवेश पर प्राप्त ब्याज में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष ₹ 448.31 करोड़ की वृद्धि (144 प्रतिशत) हुई। अन्य करेतर राजस्व में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में ₹ 2,403 करोड़ (26 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। विविध सामान्य सेवाओं के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः अदावित निक्षेप में ₹ 89.29 करोड़ की वृद्धि (141 प्रतिशत) के कारण हुई।

अन्य करेतर राजस्व की प्राप्तियों में शामिल प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत (₹ 324 करोड़ की) कमी हुई जो कि विविध प्राप्तियों के अंतर्गत, सेवा एवं अनुज्ञाप्ति शुल्क एवं अर्थदण्ड में कम प्राप्तियों से हुई। श्रम एवं रोजगार के अंतर्गत (₹ 172 करोड़ की) कमी हुई, जो कि विविध प्राप्तियों की कम वसूली, कारखाना अधिनियम एवं बॉयलरों के निरीक्षण शुल्क की कम वसूली के कारण हुई। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत (₹ 26.32 करोड़) प्राप्तियों में कमी हुई जो कि चैरिटेबल ट्रस्टों के लेखों के रख–रखाव शुल्क एवं समाज कल्याण विभाग की प्राप्तियों की कम वसूली के कारण थी।

1.3.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार भारत सरकार से सहायता अनुदान आयोजनेतर अनुदान, राज्य आयोजनागत योजना/केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं आदि के रूप में सहायता अनुदान प्राप्त करती है। वर्ष 2008–13 की अवधि में प्राप्त सहायता अनुदान की धनराशि सारणी 1.11 में दी गई है।

सारणी 1.11 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आयोजनेतर अनुदान	3,142.62	3,947.97	3,092.99	4,396.73	4,341.00
राज्य आयोजनेतर योजनाओं के लिए अनुदान	5,195.76	5,624.02	6,772.07	6,813.40	5,518.39
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	235.36	3,992.43	435.16	212.45	12.31
केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	2,923.25	3,576.82	5,133.43	6,337.44	7,466.09
योग	11,496.99	17,141.24	15,433.65	17,760.02	17,337.79
विगत वर्ष में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	33.54	49.09	(-) 9.96	15.07	(-) 2.38
राजस्व प्राप्तियों में कुल अनुदान की प्रतिशतता	14.77	17.78	13.88	13.57	11.88

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 422.23 करोड़ (दो प्रतिशत) कम हो गयी जो कि वर्ष 2011–12 में ₹ 17,760.02 करोड़ से वर्ष 2012–13 में ₹ 17,337.79 करोड़ हो गई। सहायता अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2011–12 के सापेक्ष केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं में वृद्धि हुई (₹ 1,128.65 करोड़) तथा मुख्य कमियाँ आयोजनेतर अनुदानों (₹ 55.73 करोड़), राज्य आयोजनागत अनुदानों (₹ 1,295.01 करोड़) तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं (₹ 200.14 करोड़) के अंतर्गत हुई।

1.3.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

भारत सरकार संघीय करों एवं शुल्कों जैसे आयकर, सेवाकर, संघीय उत्पाद शुल्क आदि में राज्य का अंश हस्तांतरित करती है। वर्ष 2008–13 की अवधि में केन्द्रीय कर हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ सारणी 1.12 में दी गई हैं।

सारणी 1.12 केन्द्रीय कर हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण	30,906	31,797	43,464	50,351	57,498
सेवा कर	3,339	3,357	4,309	6,010	8,396
निगम कर से भिन्न अन्य आय कर	6,364	7,289	8,927	10,067	12,365
संघीय उत्पाद शुल्क	5,152	3,585	5,498	5,649	6,493
निगम कर	10,134	13,086	16,893	19,819	20,654
सम्पत्ति पर कर	9	30	35	76	35
सीमा कर	5,908	4,450	7,557	8,730	9,555

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

केन्द्रीय कर हस्तांतरण में ₹ 7,147 करोड़ (14 प्रतिशत की) वृद्धि हुई जो कि वर्ष 2011–12 में ₹ 50,351 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 57,498 करोड़ हो गई। यह वृद्धि मुख्यतः सेवा कर में ₹ 2,386 करोड़ (40 प्रतिशत), निगम कर से भिन्न आयकर में ₹ 2,298 करोड़ (23 प्रतिशत) और संघीय उत्पाद शुल्क में ₹ 844 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि वर्ष 2011–12 की तुलना में हुई।

1.3.4 राजस्व बकाया

कुछ प्रमुख राजस्व शीर्षों के अंतर्गत ₹ 23,519.84 करोड़ का राजस्व बकाया था। इस बकाया राजस्व में से ₹ 14,310.37 करोड़ पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया (61 प्रतिशत) था। पुनः, वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में राजस्व बकाया में ₹ 4,161.84 करोड़ की वृद्धि (21 प्रतिशत) दर्ज की गई। 31 मार्च 2013 तक कुछ शीर्षों के अंतर्गत राजस्व बकाया धनराशि की विस्तृत स्थिति सारणी 1.13 में दी गई है।

सारणी 1.13: राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	बकाया धनराशि	पांच वर्ष से अधिक अवधि से बकाया	टिप्पणी
बिकी / व्यापार आदि पर कर	22,850.53	14,256.01	बकाया राजस्व ₹ 22,850.53 करोड़ में से ₹ 1,730.04 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में मांग हेतु प्रमाणित किया गया था; अन्य राज्यों को ₹ 1,166.26 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं; न्यायालय/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा धनराशि ₹ 4,556.12 करोड़ की वसूली पर रोक लगा दी गई; सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों से ₹ 489.86 करोड़ की वसूली लम्बित थी; ₹ 13,267.03 करोड़ की बकाया के वसूली प्रमाण—पत्र जारी किए जाने थे; ₹ 1,579.44 करोड़ की वसूली को बद्टे खाते में डाले जाने की संभावना थी एवं ₹ 51.78 करोड़ ट्रांसपोर्टरों से बकाया थे।
राज्य आबकारी	54.06	48.51	बकाया राजस्व ₹ 54.06 करोड़ में से ₹ 16 लाख की वसूली पर न्यायालय/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा रोक लगा दी गयी; ₹ 78 लाख बद्टेखाते में डाले जाने की संभावना थी; शेष ₹ 53.12 करोड़ के बकाया राजस्व के संबंध में विभाग द्वारा कोई विवरण नहीं दिया गया।
मनोरंजन कर	28.58	5.85	विभाग द्वारा बकाया धनराशि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	586.67	विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया	बकाया राजस्व ₹ 586.67 करोड़ में से ₹ 382.75 करोड़ की वसूली को न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया; शेष ₹ 203.92 करोड़ के बकाया राजस्व के संबंध में विभाग द्वारा कोई विवरण नहीं दिया गया।
योग	23,519.84	14,310.37	

(स्रोत: सम्बन्धित विभाग)

कुल ₹ 23,519.84 करोड़ राजस्व बकाया में से ₹ 285.62 करोड़ के राजस्व बकाया का विस्तृत विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत लोक ऋण प्राप्तियाँ जैसे ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली समिलित है। वर्ष 2008–13 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ सारणी 1.14 में दी गई हैं।

सारणी 1.14 पूंजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूंजीगत प्राप्तियाँ	17,538	22,782	21,879	19,785	16,239
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	778	293	485	133	419
लोक ऋण प्राप्तियाँ	16,760	22,489	21,394	19,652	15,820
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	85	34	(-) 5	(-) 8	(-) 19
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	73	(-) 62	66	(-) 73	215
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	15.27	19.2	19.78	16.89	11.91
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	84.07	30	(-) 4	(-) 10	(-) 18

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.14 वर्ष 2008–13 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों के अनियमित विकास को दर्शाती है। यह वर्ष 2008–09 में ₹ 17,538 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009–10 में ₹ 22,782 करोड़ हो गई किन्तु वर्ष 2010–13 के दौरान कमी आई और वर्ष 2012–13 में ₹ 16,239 करोड़ हो गई। पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के वृद्धि दर में कमी आई, वर्ष 2008–09 में 85 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में ऋणात्मक 19 प्रतिशत हो गयी। ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2008–13 की अवधि में ₹ 778 करोड़ से ₹ 133 करोड़ के मध्य घटता–बढ़ता रहा।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों और संवितरण के सापेक्ष हुई वसूलियों का प्रतिशत सारणी 1.15 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.15: ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण/वसूली

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
संवितरण	807	942	968	976	1,003
वसूलियाँ	778	293	485	133	419
संवितरण के सापेक्ष वसूली (प्रतिशत में)	96	31	50	14	42

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.15 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2008–13 की अवधि में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ 14 प्रतिशत एवं 96 प्रतिशत के मध्य रही। इससे यह इंगित है कि ऋणों एवं संवितरित अग्रिम की वसूली में राज्य सरकार की क्रियाविधि अप्रभावी थी।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

आंतरिक स्रोतों से प्राप्त ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बाजार ऋण एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 की अवधि में आंतरिक स्रोतों से प्राप्त ऋण प्राप्तियों की धनराशि सारणी 1.16 में दर्शायी गई है।

सारणी 1.16: आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बाजार ऋण	12,692	13,877	12,000	15,830	9,500
वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण	2,424	2,385	1,543	1,277	1,421

(प्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.16 से यह प्रदर्शित है कि बाजार ऋण वर्ष 2008–13 की अवधि में मामूली वृद्धि/कमी के साथ स्थिर रहा। यद्यपि, बाजार ऋण विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में ₹ 6,630 करोड़ घटकर (40 प्रतिशत) ₹ 9,500 करोड़ हो गया। वर्ष 2008–12 की अवधि में वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों पर निर्भरता में कमी हुई। यद्यपि, वर्ष 2012–13 में बढ़कर ₹ 1,421 करोड़ हो गयी।

1.4.3 भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

राज्य सरकार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम प्राप्त करती है। भारत सरकार से वर्ष 2008–13 की अवधि में प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों की धनराशि सारणी 1.17 में दी गई है।

सारणी 1.17: भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	421	283	363	316	296

(प्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.17 से यह प्रदर्शित है कि भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों की धनराशि वर्ष 2008–09 में ₹ 421 करोड़ अंतर्वर्षों में मामूली वृद्धि/कमी के साथ घटकर वर्ष 2012–13 के अंत तक ₹ 296 करोड़ हो गई।

1.5 लोक लेखे प्राप्तियाँ

कुछ निश्चित लेन देनों जैसे अल्प बचत, भविष्य निधि और आरक्षित निधि आदि जो कि समेकित निधि के अंग हैं, से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं। ये प्राप्तियाँ विधान मण्डल के मत पर आधारित होती हैं एवं इसमें शासन एक बैंकर का काम करता है। संवितरण के बाद अवशेष निधि शासन के पास उपयोग हेतु उपलब्ध रहती है। लोक लेखे की स्थिति सारणी 1.18 में दी गई है।

सारणी 1.18: लोक लेखे प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अधीन संसाधन	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
लोक लेखे प्राप्तियाँ	1,04,252	99,908	1,27,649	1,38,449	1,43,478
(क) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	6,511	8,156	9,857	9,539	10,096
(ख) आरक्षित निधि	3,628	5,825	8,577	10,255	9,638
(ग) निक्षेप एवं अग्रिम	22,656	17,260	15,560	10,551	8,629
(घ) उचंत एवं विविध	52,278	40,084	75,907	89,398	99,160
(ड) प्रेषण	19,179	28,583	17,748	18,706	15,955

(प्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.18 लोक लेखे प्राप्तियों में वृद्धि (वर्ष 2009–10 को छोड़कर) की प्रवृत्ति दर्शाती है। यह वर्ष 2008–09 के अंत में ₹ 1,04,252 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर ₹ 1,43,478 करोड़ (38 प्रतिशत) हो गई।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग


राज्य सरकार के स्तर पर व्ययों के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यय करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अन्तर्गत लोक व्ययों को घाटे द्वारा अथवा उधार लेकर पोषित करने में बजट की समस्या आती है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य के स्तर पर वर्तमान में किये जा रहे राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया, व्यय की कीमत पर, विशेषकर विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित व्यय की कीमत पर, न किया जाए।

1.6.1 व्यय के संघटक एवं उनमें वृद्धियाँ


कुल व्ययों में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्पत्ति होते हैं। राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले वर्षों के दायित्वों के भुगतान हेतु किया जाता है जिससे कि राज्य सरकार की अवस्थापना एवं दी जा रही सेवाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है। दूसरी ओर, पूँजीगत व्ययों द्वारा राज्य सरकार की अवस्थापना एवं उसके द्वारा दी जा रही सेवाओं (मूर्त परिसम्पत्तियाँ) में वृद्धि होती है।

कुल व्यय में स्थिर गति से ₹ 66,439 करोड़ की वृद्धि (67 प्रतिशत) हुई जोकि वर्ष 2008–09 में ₹ 99,122 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 1,65,561 करोड़ हो गया तथा वर्ष 2008–13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों का कुल व्यय के साथ अनुपात 79 एवं 89 प्रतिशत के मध्य रहा। राजस्व प्राप्तियों में कुल व्यय के साथ अनुपात में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में एक प्रतिशत की मामूली कमी हुई।

चार्ट 1.7 कुल व्यय की प्रवृत्तियों एवं संघटकों तथा **चार्ट 1.8** वर्ष 2008–13 की अवधि के कुल व्यय को कार्यकलाप–वार प्रस्तुत करते हैं।



चार्ट 1.8: कुल व्यय : कार्यकलापवार व्यय



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2008–13 की अवधि के कुल व्यय में राजस्व एवं पूँजीगत दोनों व्ययों के अंशों में अंतर्वर्षीय भिन्नता की प्रवृत्तियाँ इंगित करती हैं।

राजस्व व्यय में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में वृद्धि मुख्यतः पेशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, सामान्य शिक्षा, पुलिस, ब्याज भुगतान, परिवार कल्याण, ऊर्जा आदि के अंतर्गत हुई तथा कमी जलापूर्ति एवं स्वच्छता, ग्रामीण रोजगार एवं दैवीय आपदा पर राहत शीर्षों के अंतर्गत हुई।

पुनः, पूँजीगत व्यय में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में सड़कें एवं सेतुओं, जलापूर्ति, खाद्य भण्डारण एवं मालगोदाम, आवासीय, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण आदि के अंतर्गत वृद्धि हुई तथा अन्य ग्रामीण विकास, ऊर्जा परियोजनाओं, अन्य विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रमों, शहरी विकास एवं वृहद सिंचाई आदि के अंतर्गत कमी हुई।

1.6.2 राजस्व व्यय

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व व्यय की प्रवृत्तियाँ सारणी 1.19 में प्रस्तुत हैं।

सारणी 1.19: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व व्यय की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	75,969	89,374	1,07,676	1,23,885	1,40,724
राजस्व आधिक्य (₹ करोड़ में)	(+)1,862	(+) 7,047	(+)3,508	(+)6984	(+)5180
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,12,151	4,91,302	5,88,467	6,87,836	7,69,729
राजस्व व्यय की विकास दर	16.47	17.64	20.48	15.05	13.59
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.43	18.19	18.30	18.01	18.28
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	15.27	19.20	19.78	16.89	11.91

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.19 इंगित करती है कि वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2011–12 को छोड़कर राजस्व व्यय की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के समानुपातिक नहीं थी।

1.6.3 वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत वचनबद्ध व्ययों में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन तथा सम्बिंदी मद सम्मिलित है। वचनबद्ध व्यय राजस्व व्यय के मुख्य घटक हैं तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के 81 प्रतिशत इसमें उपभोग किये गये।

सारणी 1.20 और **चार्ट 1.9** वर्ष 2008–13 की अवधि के वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करते हैं।

सारणी 1.20: वचनबद्ध व्ययों के मदों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्ययों के मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक व्यय
वेतन एवं मजदूरी जिसमें*	23,857 (31)	33,347 (35)	40,159 (36)	47,521 (36)	54,484	52,755 (36)
आयोजनेत्तर शीर्ष	22,834	31,137	36,316	42,244		46,007
आयोजनागत शीर्ष**	1,023	2,210	3,843	5,277		6,748
ब्याज भुगतान	11,375 (14)	11,988 (13)	14,216 (13)	15,481 (12)	16,498	16,921 (12)
पेंशन पर व्यय	6,926 (9)	11,074 (11)	12,618 (11)	14,127 (11)	18,925	17,921 (12)
सम्बिंदी	3,819 (5)	4,275 (4)	4,437 (4)	5,601 (4)	6,553	5,964 (4)
वचनबद्ध व्यय का योग	45,977 (59)	60,684 (63)	71,430 (64)	82,730 (63)	96,460	93,561 (64)


इस मद में 'राजस्व प्राप्तियों' से प्रतिशत कोष्टक में अंकित किये गये हैं।

*सहायता अनुदान से भुगतानित वेतन भी सम्मिलित है।

**आयोजनागत शीर्ष के अन्तर्गत वह वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित हैं जिसका कि भुगतान केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं से किया गया था।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं वी.एल.सी. आंकड़े)

चार्ट 1.9: वर्ष 2008–13 की अवधि में वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2008–13 की अवधि में राज्य सरकार के वचनबद्ध व्ययों के सभी मदों में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। यह वचनबद्ध व्यय वर्ष 2008–09 में ₹ 45,977 करोड़ के स्तर से 103 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 93,561 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप

से वेतन, मजदूरी एवं पेंशन मदों के अन्तर्गत थी। वचनबद्ध व्ययों के अंतर्गत मदवार बढ़ोत्तरी/कमी की विवेचना आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

वेतन एवं मजदूरी

सारणी 1.20 के विश्लेषण से इंगित है कि वर्ष 2008–13 की अवधि में आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत शीर्षों के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी पर हुए व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। आयोजनागत शीर्षों के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी पर किया गया व्यय वर्ष 2008–09 में ₹ 22,834 करोड़ के स्तर से बढ़कर (101 प्रतिशत) वर्ष 2012–13 में ₹ 46,007 करोड़ हो गया तथा आयोजनागत शीर्षों के अन्तर्गत व्यय वर्ष 2008–09 में ₹1,023 करोड़ से बढ़कर (560 प्रतिशत) वर्ष 2012–13 में ₹ 6,748 करोड़ हो गया।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतान में वर्ष 2008–13 की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। पेंशन की धनराशि वर्ष 2008–09 में ₹ 6,926 करोड़ से बढ़कर (159 प्रतिशत) वर्ष 2012–13 में ₹ 17,921 करोड़ हो गयी। वर्ष 2011–12 के सापेक्ष पेंशन भुगतान में ₹ 3,794 करोड़ (27 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

पेंशन देयताओं के प्रभाव को कम करने के लिए 01 अप्रैल 2005 से या उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अंशदायी पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी थी।

ब्याज भुगतान

कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान वर्ष 2008–09 में 14 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 12 प्रतिशत हो गया जबकि यह 2008–13 की अवधि में राजस्व व्यय के सापेक्ष 14 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के मध्य रहा। वास्तविक ब्याज अदायगी (₹ 16,921 करोड़) पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 16,498 करोड़) से ₹ 423 करोड़ अधिक थी।

सब्सिडी

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज के वंचित वर्गों को सब्सिडी/सहायता अनुदान उपलब्ध कराना असामान्य नहीं है। सब्सिडी न केवल प्रत्यक्षतः दी जाती है वरन् लोगों को रियायती दर पर सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान कर अंतर्निहित रूप से भी दी जाती है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहायता, निवेशों पर अपर्याप्त वसूली भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली अंतर्निहित सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं।

वित्तीय लेखे (परिशिष्ट III) दर्शाते हैं कि शासन ने वर्ष 2012–13 में ₹ 5,964 करोड़ के प्रत्यक्ष सब्सिडी भुगतान किए जो राजस्व प्राप्तियों का एवं कुल व्यय का भी चार प्रतिशत थी। कुल भुगतानित सब्सिडी में ₹ 4,775 करोड़ (80 प्रतिशत) आयोजनेत्तर मद, ₹ 802 करोड़ (13 प्रतिशत) आयोजनागत मद एवं ₹ 387 करोड़ (सात प्रतिशत) केन्द्रीय पुरोन्धानित योजनाओं⁵ के अंतर्गत संवितरित की गयी थी। प्रमुख कार्यकलापों जिन्हें सब्सिडी दी गई, इनमें ऊर्जा क्रियाकलाप (₹ 4,435 करोड़; 74 प्रतिशत), कृषि एवं अन्य संबद्ध क्रियाकलाप (₹ 1,240 करोड़; 21 प्रतिशत) तथा समाज कल्याण (₹ 158 करोड़; तीन प्रतिशत) सम्मिलित थे। कार्यकलापवार विस्तृत विवरण उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिए गए हैं।

⁵राज्य बजट के माध्यम से प्राप्त निधियाँ

छर्जा क्षेत्र

वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में सब्सिडी भुगतान पर किये गये व्यय में ₹ 953 करोड़ (27 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2012–13 में सब्सिडी की अधिकतम धनराशि ₹ 4,200 करोड़ आयोजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत विद्युतीय कर वसूली के विरुद्ध समायोजन हेतु क्षतिपूर्ति अनुदान स्वरूप उ० प्र० विद्युत निगम लिमिटेड को भुगतानित किया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹ 235 करोड़ की सब्सिडी भी विद्युत दर में छूट के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए एवं बिजलीकरघा बुनकरों के लम्हित बिजली बिलों के लिए भुगतानित किया गया था।

कृषि क्षेत्र

वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में सब्सिडी भुगतान पर किये गये व्यय में ₹ 94 करोड़ (11 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2012–13 में सब्सिडी की अधिकतम धनराशि ₹ 240 करोड़ आयोजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत कृषि उत्पादों में सुधार के लिए निजी नलकूप कृषकों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए उ० प्र० विद्युत निगम को भुगतानित किया गया था। इसके अतिकित, सब्सिडी कृषि विकास योजनाओं (₹ 165 करोड़), सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को वित्तीय सहायता (₹ 104 करोड़) तथा कृषि मैक्रो प्रबंधन (₹ 73 करोड़) से सम्बन्धित केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना को भुगतानित किए गए थे।

समाज कल्याण

सब्सिडी में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में ₹ 287 करोड़ (64 प्रतिशत) की कमी हुई। सब्सिडी की अधिकतम धनराशि स्वर्ण जंयती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (₹ 36 करोड़), कृषि उत्पादन के लिए छोटे एवं सुदूर कृषकों को मुफ्त बोरिंग सहायता (₹ 30 करोड़) एवं कृषि मैक्रो प्रबंधन (₹ 23 करोड़) को भुगतानित की गई थी।

सब्सिडी आंशिक तर्सीर प्रस्तुत करती है क्योंकि इनमें अंतर्निहित सब्सिडी सम्मिलित नहीं है। अंतर्निहित सब्सिडी तब दिखती है जब शासन सामाजिक एवं आर्थिक सामग्रियाँ/सेवाएँ जो मुख्यतः निजी प्रवृत्ति की है एवं कभी—कभी इनसे विस्तृत लाभ हो सकता है, की व्यवस्था में अपने द्वारा किये गये व्यय की लागत वसूली में असमर्थ रहता है। यह अप्रत्यक्ष हो सकती है एवं कर छूट का भी एक प्रकार हो सकती है। वर्ष 2012–13 की अवधि के कुछ अंतर्निहित सब्सिडी के विस्तृत विवरण सारणी 1.21 में दिये गये हैं।

सारणी 1.21: वर्ष 2012–13 की कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडी का विवरण

क्र०सं०	योजनाएँ/सब्सिडी	विभाग का नाम	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	सामान्य श्रेणी के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	17.58
2	सामान्य श्रेणी के कक्षा 6 से 8 तक के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	47.88
3	राज्य में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त यूनीफार्म	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	74.23
4	कन्या विद्या धन योजना	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	555.63
5	10वीं पास लड़के/लड़कियों को मुफ्त टैबलेट	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.20
6	12वीं पास लड़के/लड़कियों को मुफ्त लैपटाप	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	1,011.84
योग			1,707.36

(स्रोत: विनियोग लेखे 2012-13)

सब्सिडी पर वर्ष 2012–13 में किये गये भुगतान ₹ 1,707.36 करोड़ शासन द्वारा किये गये पुनरीक्षित अनुपात (₹ 6,553 करोड़) से समान था।

1.7 व्ययों की गुणवत्ता

राज्य में अच्छे सामाजिक एवं भौतिक अवस्थापना की उपलब्धता सामान्यतः राज्य सरकार के व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अन्तर्गत मुख्यतः तीन पक्ष निहित होते हैं, जैसे— व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थः लोक सेवा की उपलब्धता हेतु पर्याप्त प्रबंध); व्यय के उपयोग की दक्षता एवं प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं के लागत—परिणाम सम्बन्धों का आकलन)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्रों एवं आर्थिक अवस्थापना से संबंधित व्यय का दायित्व राज्य सरकारों को निर्दिष्ट है। मानव विकास के स्तर में वृद्धि हेतु राज्यों को मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय को बढ़ाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र विशेष में राजकोषीय प्राथमिकता (किसी क्षेत्र विशेष में व्यय का सकल व्यय से अनुपात) संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है तो उस क्षेत्र में राजकोषीय प्राथमिकता कम है। **सारणी 1.22** में वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में विकास व्यय, सामाजिक व्यय तथा पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.22: वर्ष 2009–10 और 2012–13 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता *	ए.इ./ जी.एस.डी.पी.	डी.इ./ ए.इ.#	एस.एस.ई./ ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	एजूकेशन/ ए.ई.	हेल्थ/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों** का औसत (अनुपात) 2009–10	18.24	66.05	35.76	14.85	16.21	4.28
उत्तर प्रदेश राज्य का औसत (अनुपात) 2009–10	23.49	61.14	32.02	21.74	14.48	5.24
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2012–13	15.93	65.79	32.77	13.23	17.23	4.47
उत्तर प्रदेश राज्य का औसत (अनुपात) 2012–13	21.51	59.13	36.78	14.40	18.17	5.22

* सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
** सामान्य श्रेणी के राज्य में तीन राज्यों को छोड़ कर अर्थात दिल्ली, गोवा एवं पाण्डीचेरी।
ए.इ.: एग्रीगेट एक्सपेन्डीचर; डी.इ.: डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर; एस.एस.ई.: सोशल सेक्टर एक्सपेन्डीचर; सी.ई.: कैपिटल एक्सपेन्डीचर
डेवलपमेंट एक्यून्डीचर में डेवलपमेंट रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर, डेवलपमेंट कैपिटल एक्सपेन्डीचर और ऋण एवं अग्रिम संवितरण सम्मिलित है।

(स्रोत: राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए सूचनायें निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय से एकत्र की गयी थीं)

राजकोषीय प्राथमिकता

- सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य का कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2012–13 में अधिक था।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2012–13 में विकास पर होने वाले व्यय हेतु पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान नहीं की गयी क्योंकि कुल व्यय में विकास व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में कम था।
- वर्ष 2009–10 में सामाजिक क्षेत्र में किया गया व्यय का कुल व्यय में अनुपात

सामान्य श्रेणी के राज्यों के सापेक्ष कम था, जबकि वर्ष 2012–13 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में अधिक था।

- वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2012–13 में कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से अधिक था।
- औसत व्यय के सापेक्ष शिक्षा क्षेत्र पर किये गये व्यय का अनुपात वर्ष 2009–10 में 14.48 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 18.17 प्रतिशत हो गया। सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा पर होने वाले व्यय की प्राथमिकता वर्ष 2009–10 में कम तथा वर्ष 2012–13 में अधिक थी।
- उत्तर प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र पर किया गया व्यय उल्लेखनीय रहा क्योंकि वर्ष 2009–10 और वर्ष 2012–13 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में इसका अनुपात अधिक था।

1.7.1.1 विकास एवं विकासेत्तर व्यय

राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत व्यय, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। सामान्यतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये व्यय विकास व्यय में सम्मिलित किए जाते हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय विकासेत्तर व्यय माना जाता है।

वर्ष 2008–13 की अवधि में शासन द्वारा किये गये विकास एवं विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर **सारणी 1.23** में दी गयी है।

सारणी 1.23 विकास एवं विकासेत्तर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व व्यय	75,969	89,374	1,07,676	1,23,885	1,40,724
पूँजीगत व्यय	22,346	25,091	20,273	21,574	23,834
ऋण एवं अग्रिम	807	942	968	976	1,003
कुल व्यय	99,122	1,15,407	1,28,917	1,46,435	1,65,561
विकास व्यय	64,737	70,554	75,019	86,897	97,904
विकास व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	24	9	6	16	13
विकासेत्तर व्यय	34,385	44,853	53,898	59,538	67,657
विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12	30	20	10	14

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी: 1.23 वर्ष 2008–13 की अवधि में विकास एवं विकासेत्तर व्यय में अनियमित प्रतृत्तियाँ प्रदर्शित करती हैं। विकासेत्तर व्यय 2008–09 में 12 प्रतिशत से बढ़कर 2009–10 में 30 प्रतिशत हो गया। यद्यपि, यह 2010–11 में घटकर 20 प्रतिशत तथा 2011–12 में पुनः 10 प्रतिशत हो गया। पुनः, वर्ष 2012–13 में बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया। विकास व्यय में वृद्धि की दर वर्ष 2008–09 तथा वर्ष 2011–12 में ही विकासेत्तर व्यय में हुई वृद्धि दर से अधिक रही। इससे यह इंगित होता है कि शासन द्वारा शेष वर्षों में विकासात्मक कार्यकलापों को प्राथमिकता नहीं दी गई।

1.7.1.2 आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्ययों के अंतर्गत राज्य के कुल व्यय में राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का प्रतिशत **सारणी 1.24** में दिया गया है।

सारणी 1.24 आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल व्यय	99,122	1,15,407	1,28,917	1,46,435	1,65,561
राजस्व व्यय	75,969	89,374	1,07,676	1,23,885	1,40,724
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	58,678	73,673	86,636	1,01,269	1,14,846
आयोजनागत व्यय	17,291	15,701	21,040	22,616	25,878
पूंजीगत व्यय	22,346	25,091	20,273	21,574	23,834
ऋण एवं अग्रिम	807	942	968	976	1,003
कुल व्यय की वृद्धि दर	20	16	12	14	13
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर	10	26	18	17	13
आयोजनागत व्यय की वृद्धि दर	47	(-) 9	34	7	14

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.24 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2008–13 की अवधि में आयोजनागत व्यय की वृद्धि दोलायमान है एवं यह ऋणात्मक नौ प्रतिशत से 47 प्रतिशत के मध्य थी।

1.7.2 व्यय में दक्षता

चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर किए गये पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के घटकों का विवरण सारणी 1.25 में प्रदर्शित है।

सारणी 1.25: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(₹ करोड़ में)

सामाजिक / आर्थिक अवसंरचना	2011-12		2012-13	
	पूंजीगत व्यय का कुल व्यय में अंश	राजस्व व्यय में अंश	पूंजीगत व्यय का कुल व्यय में अंश	राजस्व व्यय में अंश
सामान्य शिक्षा	1.27	22,571	10	1.11
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14.04	4,482	86	12.92
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवासीय तथा नगरीय विकास	61.55	58	59	80.71
योग (सामाजिक सेवायें)	9.80	28,192	171	12.42
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	- 3.61	1,695	39	16.14
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	34.64	2,163	1,159	28.87
शक्ति एवं ऊर्जा	54.96	16	00	43.81
परिवहन	70.53	69	1,847	75.25
योग (आर्थिक सेवायें)	44.84	6,727	3,071	40.35
महायोग (सामाजिक सेवायें+आर्थिक सेवायें)	23.51	34,919	3,242	22.91
				38,408
				3,506

(स्रोत: वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के वित्त लेखे तथा वी.एल.सी. ऑकेड़)

राज्य सरकार के कुल व्ययों में पूँजीगत व्यय के अंश में विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में मामूली कमी हुई। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत पूँजीगत व्यय के अंश में विगत वर्ष के सापेक्ष 2.62 प्रतिशत की वृद्धि तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत 4.49 प्रतिशत की कमी हुई। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में कुल व्यय में पूँजीगत व्यय के अनुपात में 19.16 प्रतिशत की वृद्धि जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं शहरी आवास योजना में हुई। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 5.77 प्रतिशत, शक्ति एवं ऊर्जा में 11.15 प्रतिशत की कमी हुई।

कुल व्यय में वेतन एवं भत्ते के अंश में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में वृद्धि (₹ 3,489 करोड़) हुई। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में क्रमशः 4.07 प्रतिशत एवं 16.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि सामाजिक क्षेत्र (₹ 2,622 करोड़) एवं आर्थिक क्षेत्र (₹ 867 करोड़) के मध्य विभाजित थी।

सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में संचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय के अंश में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में ₹ 16 करोड़ की कमी हुई। इसी प्रकार, आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में संचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय के कुल अंश में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में ₹ 280 करोड़ की वृद्धि हुई। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में आठ प्रतिशत तथा परिवहन में नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.8 राज्य सरकार द्वारा किये गये व्ययों एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के पारित होने के उपरान्त राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वह अपने राजकोषीय घाटों को न केवल कम स्तर पर रखें बल्कि पूँजीगत व्ययों/निवेशों (अग्रिमों एवं ऋणों (उधार) को सम्मिलित करते हुए) की आवश्यकताओं को पूरा करें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को अन्तर्निहित सक्षिप्ती के रूप में अपने बजट एवं वित्तीय संचालन में पारदर्शिता लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के स्थान पर बाजार–आधारित संसाधनों पर पूर्ण रूप से निर्भर होने के संक्रमण काल में अपने निवेशों पर यथेष्ट लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने एवं उधार ली गयी धनराशियों का मूल्य वसूलने की आवश्यकता है। इस भाग में विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार के निवेशों एवं पूँजीगत व्ययों के वृहद वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया है।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यावहारिकता को सुनिश्चित करने के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुरक्षण व्यय के सापेक्ष लागत वसूली की दर निर्धारित किया गया है।

वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से वर्ष 2012–13 में प्राप्तियां (₹ 258 करोड़) उनके संचालन एवं अनुरक्षण पर किये गये ₹ 4,323 करोड़ के व्यय का मात्र छः प्रतिशत थी, जो कि वर्ष 2012–13 के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लागत वसूली अनुमान (45 प्रतिशत) से बहुत कम थी। सारणी 1.26 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2008–13 की अवधि के लिए वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्यों के संबंध में बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लागत वसूली दर तथा अनुरक्षण व्यय राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका।

सारणी 1.26: बारहवें / तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के संदर्भ में
लागत वसूली दर एवं अनुरक्षण व्यय

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ	बारहवें (2005–10) एवं तेरहवें (2010–15) वित्त आयोग द्वारा लागत वसूली का मूल्यांकन	लागत वसूली में कमी
₹ करोड़ में			प्रतिशत में		
2008-09	2,520	295	12	80	68
2009-10	2,633	267	10	90	80
2010-11	3,409	186	5	25	20
2011-12	3,736	232	6	35	29
2012-13	4,323	258	6	45	39

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.26 में वर्ष 2008–13 की अवधि की अल्प लागत वसूली प्रदर्शित है। आयोग द्वारा 45 प्रतिशत की अनुशंसा के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में इन परियोजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय का छः प्रतिशत ही वसूल किया जा सका जो उनके व्यावहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण परियोजनाओं पर धनराशियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करता है। अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति सारणी 1.27 में प्रस्तुत है।

सारणी 1.27: विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की कुल पुनरीक्षित लागत	संचयी वास्तविक व्यय (मार्च 2013)
लोक निर्माण (सड़कें एवं सेतु)	338	4,444	593 (12 परियोजनाएं)	1,824
सिंचाई	45	843	1,567 (21 परियोजनाएं)	1,569
योग	383	5,287	2,160	3,393

(स्रोत: वित्त लेखे 2012–13)

तीन सौ तिरासी अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 3,393 करोड़ (मार्च 2013) के व्यय से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2013 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों (₹ 401 करोड़), सरकारी कम्पनियों (₹ 44,835 करोड़) तथा सहकारी संस्थाओं (₹ 992 करोड़) में कुल ₹ 46,228 करोड़ की धनराशियों का निवेश किया था। निवेशों पर प्रतिफल की स्थिति 2008–13 की अवधि में सारणी 1.28 में दर्शायी गयी है।

सारणी 1.28: निवेशों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/लिये गये ऋणों की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अंत तक निवेश (₹ करोड़ में)	14,866.13	39,666.64	38,272.54	42,607.07	46227.91 ⁶
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	1.26	8.36	26.81	38.17	62.70
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.008	0.021	0.07	0.09	0.14
राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों पर औसत ब्याज का दर (प्रतिशत)	6.29	6.16	6.67	6.62	6.73
ब्याज दर एवं प्रतिफलों में अंतर (प्रतिशत)	6.28	6.14	6.60	6.53	6.59

(झोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में मुख्य रूप से ऐसे निगमों में निवेश किया गया था, जो कि विद्युत उत्पादन, विद्युत संचार एवं वितरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण में लगे हुये थे।

1.8.4 नकद अवशेष एवं नकद अवशेषों के निवेश

वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार को नकद अवशेषों के निवेश पर ₹ 760.27 करोड़ के ब्याज प्राप्त हुए। प्राप्त ब्याज की धनराशि नकद अवशेष निवेश लेखे में किए गए निवेश का मात्र पांच प्रतिशत थी जो कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर भुगतानित (6.73 प्रतिशत) ब्याज दर से कम था।

सारणी 1.29 वर्ष 2012–13 में नकद अवशेष एवं शासन द्वारा नकद अवशेषों के निवेश प्रस्तुत करता है।

सारणी 1.29: नकद अवशेष एवं नकद अवशेषों के निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारम्भिक अवशेष	अंतिम अवशेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषागारों में नकद	0.21	0.21
रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	-61,934.14	-3,951.87
मार्गस्थ प्रेषण	0.07	0.07
योग	-61,933.86	-3,951.59
रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखे गये निवेश	1,405,271.88	1,519,872.50
योग (अ)	1,343,338.02	1,515,920.91
(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद अर्थात् लोक निर्माण के विभागीय अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी	1,289.51	1,278.61
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	42.35	42.35
उद्दिदष्ट निधियों के निवेश	4,519.58	4,519.58
योग (ब)	5,851.44	5,840.54
महायोग (अ) + (ब)	1,349,189.46	1,521,761.45

(झोत: वित्त लेखे 2011–12 एवं 2012–13)

⁶ वर्ष 2012–13 एवं विगत वर्षों के, जो कि समाधान के अंतर्गत ₹ 1,269 करोड़, सम्मिलित है।

वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर उद्दिष्ट निधियों के निवेश पर ₹ 45.20 करोड़ की कटौती के बाद शासन के पास ₹ 15,172.42 करोड़ नकद अवशेष थे।


1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों में वृद्धि एवं संघटक

राज्य सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार की भूमि, भवनों इत्यादि जैसी अचल परिसम्पत्तियों को समग्र रूप से लेखाबद्ध नहीं किया जाता है। फिर भी, राज्य सरकार के लेखे राज्य सरकार की वित्तीय देयताओं तथा व्यय द्वारा सृजित की गयी परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। परिशिष्ट 1.7 में 31 मार्च 2012 के सापेक्ष 31 मार्च 2013 को राज्य सरकार की ऐसी ही वित्तीय देयताओं एवं सृजित परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। यद्यपि परिशिष्ट 1.7 में अंकित वित्तीय देयताओं के अंतर्गत मुख्य रूप से आन्तरिक ऋणों, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखे एवं रक्षित निधियों से प्राप्तियाँ दर्शायी गयी हैं जबकि परिसम्पत्तियों के अंतर्गत मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ अवशेषों का विवरण दिया गया है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएँ

राज्य सरकार की अवशेष राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति परिशिष्ट 1.7 में प्रस्तुत की गयी है एवं वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में राजकोषीय देयताओं के संघटकों को चार्ट 1.10 एवं 1.11 में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: वित्त लेखे 2011–12 एवं 2012–13)

चार्ट 1.10 एवं 1.11 स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुए जबकि ऋण एवं अग्रिम स्थिर थे। आन्तरिक ऋण में एक प्रतिशत की कमी के सापेक्ष लोक लेखे देयताओं में दो प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई।

राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं में वृद्धि दर, राजकोषीय देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात, राजस्व प्राप्तियों से अनुपात तथा राज्य के संसाधनों से अनुपात एवं इन प्राचलों के सन्दर्भ में राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं में उत्पावनता सारणी 1.30 में दी गयी है।

सारणी 1.30: राजकोषीय देयताएं—मूल प्राचल

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	1,87,411	2,01,720	2,24,785	2,43,229	2,59,621
वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.55	7.64	11.43	8.21	6.74
राजकोषीय देयताओं का निम्न से अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	45.47	41.06	38.20	35.36	33.73
राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	240.79	209.21	202.17	185.86	177.94
स्वयं के संसाधन (प्रतिशत)	529.02	424.86	429.91	387.56	365.31
राजकोषीय देयताओं की निम्न से उत्प्लावनता⁷					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.494	0.398	0.578	0.486	0.566
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.566	0.320	0.747	0.464	0.587
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	0.500	0.225	1.129	0.410	0.509

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.30 से यह विदित होता है कि राज्य सरकार की कुल राजकोषीय देयताएं वर्ष 2008-09 में ₹ 1,87,411 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 2,59,621 करोड़ हो गयीं। वर्ष 2011-12 के 8.21 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं में वृद्धि दर 6.74 प्रतिशत थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय देयताओं का अनुपात वर्ष 2008-09 में 45.47 प्रतिशत के स्तर से घटकर वर्ष 2012-13 में 33.73 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2012-13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावनता 0.566 प्रतिशत थी।

1.9.3 आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देन

राज्य सरकार के लेखे में सेक्टर जे—आरक्षित निधियों के अंतर्गत कई आरक्षित निधियाँ विद्यमान रहती हैं, जो विशिष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की गई तथा राज्य के समेकित निधि से अथवा बाह्य अभिकरणों से प्राप्त अनुदानों के सहयोग से प्रारम्भ की गई हैं। इन निधियों का वर्षावार विवरण अर्थात् निधियों का नाम, वर्ष 2010-13 की अवधि में प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ प्रारम्भिक एवं अंतिम अवशेषों को परिशिष्ट 1.8 एवं सारांश सारणी 1.31 में दिया गया है।

सारणी 1.31: वर्ष 2010-13 की अवधि में आरक्षित निधियों की स्थिति

क्र० सं०	लेखा शीर्ष	आरक्षित निधियों की संख्या		प्रारम्भिक अवशेष (1 अप्रैल 2010)	प्राप्तियाँ 2010-13	संवितरण 2010-13	अंतिम अवशेष (31 मार्च 2013)
		संचालित	असंचालित				
ब्याज सहित आरक्षित निधि							
1	8115-मूल्यास/नवीकरण आरक्षित निधि	01	01	1,60,462.23	शून्य	1,58,613.69	1848.54
2	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	शून्य	02	126.69	शून्य	शून्य	126.69

⁷आधारभूत चर में दिए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय चर की अनुकूलता अथवा लचीलेपन को दर्शाता है।

व्याज रहित आरक्षित निधि							
1	8222-सिंकिंग फण्ड	01	शून्य	2,078,247.98	24,21,098.44	10,15,902.09	3,483,444.33
2	8223-अकाल राहत निधि	शून्य	02	853.50	शून्य	शून्य	853.50
3	8225-सड़क एवं सेतु निधि	01	शून्य	99,841.03	शून्य	94,096.38	5,744.65
4	8226- मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधि	01	शून्य	4,887.77	33.00	शून्य	4,920.77
5	8229-विकास एवं कल्याण निधियाँ	05	02	38,964.26	2,08,853.64	1,93,912.64	53,905.26
6	8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	03	03	(-) 12,124.15	2,17,038.86	1,63,295.91	41,618.80
योग		12	10				35,92,462.54

(झोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.31 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–13 में 22 आरक्षित निधियों (जिनके अंतिम अवशेष ₹ 35,924.63 करोड़ थे) में से 10 आरक्षित निधियाँ संचालित नहीं थी।

1.9.4 आकस्मिक देयताएं—गारन्टी की स्थिति

गारन्टी, राज्य के समेकित निधि पर आकस्मिक देयतायें हैं, जो उधार लेने वाले, जिनके लिए गारन्टी दी गयी थी, द्वारा उधार की अदायगी न करने पर की जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार किसी निगम अथवा विधि के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि की गारन्टी नहीं देगी।

फिर भी, राज्य सरकार ने ऐसी कोई विधि या नियम नहीं बनाये थे जो कि राज्य सरकार की संचित निधि के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारन्टी की सीमा निर्धारित करती हो। तेजव्वे वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी आकस्मिक देयताओं, जो कि प्रत्याभूति के भुगतान करने पर उत्पन्न हों, की प्रतिपूर्ति हेतु कोई निधि स्थापित नहीं की गई थी।

फलस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा गारन्टी हेतु लिये गये शुल्कों को निर्दिष्ट निधि में जमा करने के स्थान पर राजस्व प्राप्तियों के मद में जमा किया गया जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारन्टी के उपयोग की परिस्थिति में किया जाना था।

राज्य सरकार के वित्त लेखे के **विवरण-9** के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारन्टी की अधिकतम राशि एवं विगत तीन वर्षों से बकाया गारन्टी **सारणी 1.32** में दी गयी है।

सारणी 1.32: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारन्टी

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
गारन्टी की अधिकतम राशि	29,778	29,629	50,459
अवशेष गारन्टी की राशि (व्याज सहित)	20,162	21,752	43,337
कुल राजस्व प्राप्तियों से गारन्टी की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	26.78	22.64	34.58

(झोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

गारन्टी की अधिकतम धनराशि वर्ष 2010–11 के ₹ 29,778 करोड़ के स्तर से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर (69 प्रतिशत) वर्ष 2012–13 में ₹ 50,459 करोड़ हो गयी। गारन्टी की अवशेष धनराशियाँ भी वर्ष 2010–11 के ₹ 20,162 करोड़ के स्तर से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर (115 प्रतिशत) वर्ष 2012–13 में ₹ 43,337 करोड़ हो गयी एवं अधिकतम वृद्धि ऊर्जा (₹ 20,947 करोड़, सात संस्थानों) एवं अन्य संस्थानों (₹ 1,030 करोड़, 14 संस्थानों) के अंतर्गत हुई। वर्ष 2010–11 में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष दी गयी गारण्टी भी 26.78 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 34.58 प्रतिशत हो गयी। 31 मार्च 2013 तक ब्याज सहित गारन्टी की धनराशि राज्य वित्त निगम (₹ 80.14 करोड़, एक संस्थान), ऊर्जा क्षेत्र के संस्थानों (₹ 38,555.43 करोड़), सहकारी संस्थानों (₹ 2,494.82 करोड़ दो संस्थानों) एवं अन्य संस्थानों (₹ 2,206.27 करोड़, 14 संस्थानों) पर बकाया थी।

1.10 ऋण प्रबन्धन

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन सूचकों का विश्लेषण किया जाये जो कि राज्य सरकार की ऋण संवहनीयता का निर्धारण करते हैं। प्रतिवेदन का यह प्रभाग ऋणों में स्थिरता, गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता, उधार ली गई धनराशियों की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋणों की संवहनीयता का आकलन करता है।

वर्ष 2008–09 से प्रारम्भ होने वाले पाँच वर्षों की अवधि में उपरोक्त सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण संवहनीयता **सारणी 1.33** में इंगित की गयी है।

सारणी 1.33: ऋण संवहनीयता—सूचकांक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण संवहनीयता के सूचकांक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण स्थिरता (प्रमात्रा विस्तार + प्रारम्भिक घाटा)	8,426	17,733	23,413	23,134	10,282
गैर-ऋण प्राप्तियों की प्रचुरता (संसाधन अंतराल)	(-) 6,719	1,820	1,445	1,815	(-)3,805
उधार ऋण की निवल उपलब्धता	1,788	2,387	8,915	3,051	(-)463
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियों का अनुपात)	15	12	13	12	12

(झोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.10.1 ऋण स्थायित्व

ऋण संवहनीयता के सन्दर्भ में यह एक तथ्य है कि ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में स्थिर रहे। यदि प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है तो ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात अधिक होगा जोकि इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि लोकऋणों का स्तर असंवहनीय है। यदि प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटा धनात्मक है तो ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात कम होगा जो कि इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि लोक ऋण संवहनीय स्तर का है।

सारणी 1.33 प्रदर्शित करता है कि वर्ष 2008–13 की अवधि में प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटे का योग वर्ष 2008–09 (₹ 8,426 करोड़), वर्ष 2009–10 (₹ 17,733 करोड़), वर्ष 2010–11 (₹ 23,413 करोड़), वर्ष 2011–12 (₹ 23,134 करोड़)

एवं वर्ष 2012–13 (₹ 10,282 करोड़) में धनात्मक रहा। यह लोक ऋण के संवहनीय स्तर का सूचक है।

1.10.2 लिये गये ऋणों की निवल उपलब्धता

वर्ष 2008–12 में ब्याज एवं ऋणों के पुनर्भुगतान के पश्चात् आन्तरिक ऋणों एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा अन्य दायित्वों से धनराशियों की शुद्ध उपलब्धता 3.64 प्रतिशत से 16.14 प्रतिशत के मध्य रही किन्तु यह वर्ष 2012–13⁸ में कम होकर ऋणात्मक एक प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार ने ₹ 7,514 करोड़ के आन्तरिक ऋण, भारत सरकार के ₹ 1,395 करोड़ तथा 16,921 करोड़ के ब्याज सहित ₹18,738 करोड़ के अन्य दायित्वों का ही भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप, उधार धनराशियों की उपलब्धता वर्ष 2011–12 में 6.12 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में ऋणात्मक एक प्रतिशत हो गयी। ऋण मोचन अनुपात की प्रवृत्तियाँ वर्ष 2008–13 की अवधि में 84 प्रतिशत से 101 प्रतिशत के मध्य रही।

1.10.3 बाजार ऋण पर समीक्षा

1.10.3.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार कोई भी राज्य भारत की सीमा के अंतर्गत राज्य की समेकित निधि की जमानत पर उस सीमा तक ऋण ले सकता है, यदि कोई हो, जैसा कि समय—समय पर राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई हो। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य के लिए निर्दिष्ट राजकोषीय घाटा पथ के आधार पर बाजार ऋण की सीमाएँ निर्धारित की हैं। ३०प्र० राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार के कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 45.1 प्रतिशत होना चाहिए।

लोक ऋण के अंतर्गत राज्य सरकार के आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल होते हैं। आंतरिक ऋण, पुनः बाजार ऋण एवं समझौता ऋण में विभाजित होता है। राज्य सरकार के बाजार ऋण का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा इनका प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। राज्य सरकार, राज्य विकास ऋण नाम से भिन्न-भिन्न अवधियों की प्रत्याभूतियाँ निर्गत करती हैं।

1.10.3.2 बाजार ऋण की स्थिति

वर्ष 2008–13 की अवधि के ऋण संवहनीयता सूचकों जिसमें कुल देयताएँ, लोक ऋण, बाजार ऋण आदि सम्मिलित है, की स्थिति सारणी 1.34 में दर्शाया गया है।

	(₹ करोड़ में)				
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्राप्ति	49,193	53,485	55,236	49,849	44,039
भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	47,405	51,098	46,321	46,797	44,502
उपलब्ध निवल धनराशि	1,788	2,387	8,915	3,051	(-)463
उपलब्ध निवल धनराशि (प्रतिशत में)	3.64	4.46	16.14	6.12	(-)1.05

सारणी 1.34: ऋण संवहनीयता सूचक

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	राजकोषीय देयताएँ ^९	1,87,410.70	2,01,720.38	2,24,785.25	2,43,229.14	2,59,620.74
2.	कुल लोक ऋण	1,17,703.32	1,32,523.80	1,46,534.80	1,57,899.49	1,64,810.40
3.	कुल बाजार ऋण	43,510.73	54,932.17	65,006.63	77,840.82	84,103.55
4.	कुल देयताओं में बाजार ऋण का प्रतिशत	23.22	27.23	28.92	32.00	32.39
5.	कुल लोक ऋण में बाजार ऋण का प्रतिशत	36.97	41.45	44.36	49.30	51.03
6.	बाजार ऋण पर भारित औसत व्याज दर	8.43	8.20	8.37	8.83	8.93
7.	बाजार ऋण पर भुगतानित व्याज	2,904.03	3,668.19	5,137.52	5,612.43	6,592.99
8.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद विकास दर एवं व्याज दर का अनुपात	16 : 8	13 : 8	27 : 8	11 : 9	14 : 9
9.	कुल व्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्तियों का अनुपात	0.15	0.12	0.13	0.12	0.12
10.	प्राथमिक आधिक्य	(-)9,137.74	(-)6,704.20	(-)3,032.13	(-)49.12	(-)4,712.38
11.	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) ^{१०}	(+)1,861.84	(+)7,047.34	(+)3,508.15	(+)6,984.53	(+)5,546.00
12.	राजकोषीय घाटा ^{११}	(-)20,512.80	(-)18,692.66	(-)17,247.70	(-)15431.83	(-)21210.32
13.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल देयताओं का प्रतिशत ^{१२}	46.77	44.55	39.15	38.14	35.65
14.	बकाया प्रत्याभूतियाँ ^{१३}	16,084.00	19,592.26	20,162.03	21,659.16	43,336.66
15.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,00,711	4,52,803	5,74,124	6,37,789	7,28,342
16.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लोक ऋण का प्रतिशत	29.37	29.27	25.52	24.76	22.63

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं उ० प्र० बजट)

सारणी के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आएः

- वर्ष 2008–13 की अवधि में राज्य सरकार की ऋण देयताओं में वृद्धि की प्रवृत्ति रही, यद्यपि यह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत था।

^९ ₹ 17,628.33 करोड़ शामिल हैं जो वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक एवं ₹ 17,485.84 करोड़ वर्ष 2012–13 के लिए उ० प्र० एवं उत्तरांचल में विभाजित किया जाना है। बजट के बाहर के उधारों के संबंध में शासन द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई।

^{१०} उ० प्र० राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 (संशोधन) के अनुसार राज्य सरकार का राजस्व घाटा शून्य होना चाहिए।

^{११} उ० प्र० राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 (संशोधन) के अनुसार राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

^{१२} वर्ष 2008–11 के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए थे। वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के लिए लक्ष्य क्रमशः 46.90 एवं 45.10 प्रतिशत थे।

^{१३} कोई उच्चतम दर निर्धारित नहीं किया गया।

- कुल लोक ऋण वर्ष 2008–09 में ₹ 1,17,703.32 करोड़ से बढ़कर (40 प्रतिशत) वर्ष 2012–13 में ₹ 1,64,810.40 करोड़ हो गया। यद्यपि विगत वर्षों में कुल देयताओं में वृद्धि हुई पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल देयता का प्रतिशत वर्ष 2008–09 में 46.77 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 35.65 प्रतिशत हो गया जोकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की मजबूती को इंगित करती है बाजवूद इसके कि कुल देयताओं में लगातार वृद्धि हुई।
- वर्ष 2012–13 में कुल देयता में बाजार ऋण की प्रतिशतता में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ रहीं जो यह दर्शाता है कि राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए राज्य सरकार बाजार ऋण पर भरोसा करती है।
- बाजार ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर भी वर्ष 2009–10 में 8.20 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 8.93 प्रतिशत हो गया एवं बाजार ऋण पर भुगतानित ब्याज 127 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2008–09 में ₹ 2,904.03 करोड़ से वर्ष 2012–13 में ₹ 6,592.99 करोड़ हो गया।

1.10.3.3 बाजार ऋणों की रूपरेखा

वर्ष 2008–13 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा लिये गये बाजार ऋणों की रूपरेखा सारणी 1.35 में दी गयी हैं।

सारणी 1.35: वर्ष 2008–13 की अवधि में लिये गये बाजार ऋण की रूपरेखा
(₹ करोड़ में)

विवरण	लिए गये ऋण की घनराशि					योग
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
>7 वर्ष	12,692.11	13,876.93	11,999.80	15,830.00	9,500.00	63,898.84
वर्ष में लिया गया कुल ऋण	12,692.11	13,876.93	11,999.80	15,830.00	9,500.00	63,898.84
31 मार्च 2013 तक कुल बकाया ऋण	43,510.73	54,932.17	65,006.63	77,840.82	84,103.55	-
वर्ष के दौरान लिए गए ऋण का कुल बकाया ऋण के सापेक्ष प्रतिशतता	29.17	25.26	18.46	20.34	11.30	-

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं वित्त विभाग, उप्रेति सरकार)

राज्य सरकार की बाजार उधारियों की परिपक्वता अवधि सात वर्ष से अधिक की थी। यह इस बात का सूचक है कि राज्य सरकार मध्यम अवधि/अल्प अवधि उधारियों पर निर्भर नहीं थी। हमने पाया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–13 की अवधि में प्रत्याभूतियाँ निर्गत करने हेतु अधिसूचना में समय पूर्व भुगतान की शर्त शामिल नहीं की गई। उत्तर में वित्त विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया (जुलाई 2013)।

बाजार ऋणों की प्रवृत्तियाँ

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–13 की अवधि में लिए गए बाजार ऋणों की वर्षवार प्रवृत्तियाँ सारणी 1.36 में दी गयी हैं।

सारणी 1.36: वर्ष 2008–13 में लिए गये बाजार ऋणों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष की अवधि में लिये गये बाजार ऋण	वर्ष की अवधि में पुनर्भुगतानित बाजार ऋण	अंतिम अवशेष	वर्ष की अवधि में प्रारम्भिक अवशेष के सापेक्ष निवल वृद्धि	
					धनराशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6 (5-2)	7
2008-09	33,215.20	12,692.11	2,396.58	43,510.73	10,295.53	30.99
2009-10	43,510.73	13,876.93	2,455.49	54,932.17	11,421.44	26.25
2010-11	54,932.17	11,999.80	1,925.34	65,006.63	10,074.46	18.34
2011-12	65,006.63	15,830.00	2,995.81	77,840.82	12,834.19	19.74
2012-13	77,840.82	9,500.00	3,237.27	84,103.55	6,262.73	8.05
योग	63,898.84	13,010.49				

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.36 इंगित करती है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2008–13 की अवधि में बाजार से ₹ 63,898.84 करोड़ ऋण लिए परंतु पुनर्भुगतान ₹ 13,010.49 करोड़ (20 प्रतिशत) का किया। सारणी 1.36 के विश्लेषण से यह भी प्रकाश में आया कि वर्ष 2008–13 की अवधि में पुनर्भुगतान की गति धीमी होने के कारण बाजार ऋण सतत संचित हुए। पुनर्भुगतान की धीमी गति से सतत कर्ज लेने की प्रवृत्ति तथा परिपक्वता दबाव की संभावना आगामी वर्षों में बढ़ सकती है।

1.10.3.4 बाजार ऋणों की भारित औसत परिपक्वता

वर्ष 2008–13 की अवधि में बाजार ऋणों की भारित औसत परिपक्वता की स्थिति सारणी 1.37 में दी गई हैं

सारणी 1.37 बकाया बाजार ऋणों की भारित औसत परिपक्वता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की अवधि में निर्गत धनराशि	बकाया बाजार ऋण	वर्ष में भारित औसत परिपक्वता
2008-09	12,692.11	43,510.73	6
2009-10	13,876.93	54,932.17	7
2010-11	11,999.80	65,006.63	6
2011-12	15,830.00	77,840.82	6
2012-13	9,500.00	84,103.55	6

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2008–13 की अवधि में बाजार ऋण की परिपक्वता 10 वर्ष पर स्थिर थी। बाजार ऋणों की भारित औसत परिपक्वता छः से सात वर्षों के मध्य थी जो यह दर्शाता है कि अल्प अवधि (<एक वर्ष>/मध्यम अवधि (एक वर्ष से पांच वर्षों तक) ऋणों पर निर्भरता कम थी। इस प्रकार अल्प अवधि एवं मध्यम अवधि में ऋण, भुगतान के दबाव को कम करता है।

1.10.3.5 बाजार ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा

वर्ष 2008–13 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण के वर्षावार औसत ब्याज दर सारणी 1.38 के अनुसार थे।

सारणी 1.38: औसत ब्याज दर का विवरण जिसपर बाजार ऋण लिया गया था

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर (प्रतिशत)	बाजार ऋण एवं औसत ब्याज दर का 2008–13 की अवधि में वर्षवार विवरण					
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
7.00 - 7.99	3,099.33	3,500.00	-	-	-	6,599.33
8.00 - 8.99	7,594.00	10,376.93	12,000.00	11,512.50	8,000.00	49,483.43
9.00 - 9.99	2,000.00	-	-	4,317.50	1,500.00	7,817.50
योग	12,693.33	13,876.93	12,000.00	15,830.00	9,500.00	63,900.26
औसत ब्याज दर	8.43	8.20	8.37	8.83	8.93	-

(स्रोत: वित्त विभाग)

सारणी 1.38 ब्याज के औसत दर में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। यह वर्ष 2009–10 में 8.20 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 8.93 प्रतिशत हो गई जो कि विगत वर्षों में ऋण की लागत में वृद्धि का सूचक है।

1.10.3.6 बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति

बाजार ऋणों के परिपक्वता वर्ष एवं वर्ष 2014–21 की अवधि में बकाया बाजार ऋण की परिपक्वता निधि में इसका प्रतिशत सारणी 1.39 में दिया गया है।

सारणी 1.39: परिपक्वता निधि एवं बकाया बाजार ऋण का प्रतिशत

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता निधि	बकाया बाजार ऋण में प्रतिशत (31 मार्च 2013 तक)
2014-15	3,987.80	4.74
2015-16	4,699.04	5.59
2016-17	4,145.61	4.93
2017-18	4,422.00	5.26
2018-19	12,693.33 ¹⁴	15.09
2019-20	13,876.93	16.50
2020-21	12,000.00 ¹⁵	14.27

(स्रोत: वित्त विभाग)

हमने पाया कि बाजार ऋणों की शोधन देयताएँ वर्ष 2018–21 में चार वर्ष पूर्व की तुलना में लगभग तीन गुणा रहेगी। बाजार ऋण में रोलओवर के लिए अभी तक कोई योजना नहीं थी एवं पुनर्भुगतान नियत तिथियों पर किए जाने थे।

1.10.3.7 राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान

वर्ष 2008–13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता सारणी 1.40 में दी गयी है।

¹⁴₹12,692.11 करोड़ + (₹ 1.22 करोड़ धनराशि बट्टे पर) = ₹ 12,693.33 करोड़ (2008-09)

¹⁵₹11999.80 करोड़ + (₹ 0.20 करोड़ धनराशि बट्टे पर) = ₹ 12,000.00 करोड़ (2010-11)

सारणी 1.40: राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	विवरण	वर्ष				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	ब्याज भुगतान	11,375.06	11,988.46	14,215.57	15,480.95	16,920.59
2	राजस्व प्राप्ति	77,831.00	96,421.00	1,11,184.00	1,30,869.00	1,45,904.00
3	राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	14.62	12.43	12.79	11.83	11.60

(ज्ञात: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.40 यह इंगित करती है कि ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष प्रतिशत वर्ष 2008-09 में 14.62 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 11.60 प्रतिशत हो गया।

1.10.3.8 बाजार ऋणों का अनुचित उपयोग

उ0 प्र0 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 के खण्ड 4 (डी) में वर्णित है कि बाजार ऋण का उपयोग अनिवार्य रूप से स्वपोषित विकास कार्यकलापों एवं पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन एवं संवर्धन में किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने ऋण के प्रत्येक अंश के उद्देश्य अधिसूचित किये कि ऋणों की प्राप्तियों का उपयोग विकास योजनाओं मुख्यतः ऊर्जा, कृषि, सिंचाई एवं उद्योगों से संबंधित योजनाओं के वित्त पोषण में किया जायेगा।

बाजार ऋण की वर्षवार स्थिति एवं उनके उपयोग सारणी 1.41 में दिये गये हैं।

सारणी 1.41: आश्रित बाजार ऋण की स्थिति एवं उनके उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण की धनराशि			
	आश्रित	पुनर्भुगतान हेतु उपयोग		विकासात्मक कार्य-कलापों हेतु उपयोग
		धनराशि	प्रतिशत	धनराशि
2008-09	12,692.11	2,396.58	18.88	10,295.53
2009-10	13,876.93	2,455.49	17.69	11,421.44
2010-11	11,999.80	1,925.34	16.04	10,074.46
2011-12	15,830.00	2,995.81	18.92	12,834.19
2012-13	9,500.00	3,237.27	34.08	6,262.73
योग	63,898.84	13,010.49		50,888.35

(ज्ञात: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2008-13 की अवधि में बाजार ऋणों की कुल धनराशि ₹ 63,898.84 करोड़ थी जिसमें से ₹ 13,010.49 करोड़ (20 प्रतिशत) ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु उपयोग की गई एवं शेष धनराशि ₹ 50,888.35 करोड़ (80 प्रतिशत) पूँजीगत निर्माण हेतु उपयोग की गई। अतः राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त इन ऋणों से वांछित उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हुई।

वित्त विभाग द्वारा बताया गया (जुलाई 2013) कि शासन अपनी नकद जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से लिए गये बाजार ऋण जो विशेष वित्तीय वर्ष में परिपक्व हो गया हो, को समाप्त करने के लिए बाजार ऋणों का सहारा ले सकता है। उत्तर उपयुक्त नहीं था क्योंकि शासन द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया।


1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य प्राचलों—राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा—से राज्य के वित्त में एक निश्चित अवधि में सकल राजकोषीय असंतुलन की सीमा प्रदर्शित होती है। राज्य सरकार के लेखों में प्राप्तियाँ और व्ययों में अन्तर घाटे को प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति राज्य सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का सूचक है। पुनः जिस तरह से घाटे का वित्त-पोषण किया जाता है तथा जिस तरह से सृजित संसाधनों का उपयोग किया जाता है वह राजकोषीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्रतिवेदन का यह प्रभाग इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा और वित्त-पोषण करने के तरीकों को प्रस्तुत करता है एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए निश्चित लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटों की वास्तविक स्थिति का आकलन प्रस्तुत करता है।


1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.12 और 1.13 में वर्ष 2008–13 की अवधि में घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

चार्ट 1.12: आधिक्य/घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति



चार्ट 1.13: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए निश्चित किए गये राजकोषीय लक्ष्य में राजस्व घाटे को मार्च 2010 तक शून्य किया जाना था। यह अधिनियम वर्ष 2011 में संशोधित किया गया जिसके अनुसार वर्ष 2012–13 के अन्त तक राजस्व घाटा शून्य तथा राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

राज्य सरकार ने राजस्व घाटे को घटाकर शून्य करने का लक्ष्य वर्ष 2006–07 में प्राप्त कर लिया था तथा वर्ष 2012–13 तक सतत राजस्व आधिक्य था। वर्ष 2012–13 के अंत तक राज्य के पास ₹ 5,180 करोड़ का राजस्व आधिक्य है।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2010–11 के ₹ 17,248 करोड़ से घटकर वर्ष 2011–12 में ₹ 15,433 करोड़ हो गया, पुनः वर्ष 2012–13 में ₹ 19,238 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः राजस्व आधिक्य तथा निवल ऋणों एवं अग्रिमों के साथ निवल पूँजीगत व्यय में कमी के कारण हुई।

वित्तीय वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर राज्य का प्राथमिक घाटा ₹ 2,317 करोड़ था। यह राजकोषीय घाटा एवं ब्याज भुगतान में विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में क्रमशः ₹ 3,805 करोड़ एवं ₹ 1,440 करोड़ की वृद्धियों के फलस्वरूप था।

1.11.2 राजकोषीय घाटे और इसके वित्तीय प्रवृत्ति के संघटक

राज्य सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। राजकोषीय घाटा, राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) का राजस्व प्राप्तियों एवं गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों पर आधिक्य है। राजकोषीय घाटे के विभिन्न घटकों के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का राजस्व प्राप्तियों एवं गैर-ऋण प्राप्तियों पर आधिक्य को पूरा करने हेतु किस सीमा तक ऋण लिया गया था। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति को सारणी 1.42 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 1.42: राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तपोषण के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजकोषीय घाटे का विघटन					
राजकोषीय घाटा (1 से 3 तक)	20,513 (4.98)	18,693(3.80)	17,248 (2.93)	15,433(2.24)	19,238(2.50)
1 राजस्व घाटा/ आधिक्य (-)	(-) 1,862	(-) 7,047	(-) 3,508	(-) 6,984	(-) 5,180
2 निवल पूँजीगत व्यय	22,346	25,091	20,273	21,574	23,834
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	29	649	483	843	584
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति*					
1 बाजार उधारी	10,296	11,421	10,074	12,834	6,263
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 778	(-) 917	(-)937	(-) 999	(-)1,099
3 एन. एस. एस. एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	426	3,899	5,415	395	2,429
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	628	418	(-)541	(-) 865	(-) 681
5 लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	2,944	3,870	4,871	3,630	3,342

6	निक्षेप एवं अग्रिम	(-) 2,525	93	1,843	(-) 2,038	1,753
7	उचन्त एवं विविध	973	(-) 1,365	757	608	3,540
8	प्रेषण	78	3	367	(-) 209	986
9	अन्य (जैसे आकर्षिकता निधि के अंतर्गत लेन-देन, आरक्षित निधि, नकद अवशेष निवेश)	8,471	1,271	(-) 4,601	2,077	2,705
राजकोषीय घाटा		20,513	18,693	17,248	15,433	19,238
कोषक में दी गयी संख्या सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत है						
*ये सभी आंकड़े वर्ष के अंतर्गत वितरण/व्यय का निवल हैं						

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 2008–13 की अवधि में ₹ 15,433 करोड़ (2011–12) और ₹ 20,513 करोड़ (2008–09) के मध्य था। राजकोषीय घाटा वर्ष 2011–12 में ₹ 15,433 करोड़ से बढ़कर (25 प्रतिशत) वर्ष 2012–13 में ₹ 19,238 करोड़ हो गया।

यद्यपि, वित्त पोषण प्रवृत्ति एवं राजकोषीय घाटा में बाजार ऋण की भूमिका कम हुई फिर भी राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रत्याभूतियाँ, वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण, उचन्त एवं विविध का प्रभुत्व था।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात, प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे में अपघटन एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए), राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि किस सीमा तक उधार की राशियों का उपयोग चालू व्ययों को पूरा करने के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के अनुपात का लगातार उच्च स्तर पर बने रहना यह इंगित करता है कि राज्य की परिस्मितियों का आधार लगातार कम हो रहा है एवं कुछ सीमा तक ऋण (राजकोषीय देयताओं) राज्य की परिस्मितियों द्वारा समर्थित नहीं है। प्राथमिक घाटे (सारणी 1.43) में विभाजन उस सीमा की ओर इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्राथमिक घाटा हुआ। पूंजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

सारणी 1.43: प्राथमिक घाटा/आधिक्य—घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2008-09	78,609	64,594	22,346	807	87,747	(+) 14,015	(-) 9,138
2009-10	96,714	77,386	25,091	942	1,03,419	(+) 19,328	(-) 6,705
2010-11	1,11,669	93,460	20,273	968	1,14,701	(+) 18,209	(-) 3,032
2011-12	1,31,002	1,08,404	21,574	976	1,30,954	(+) 22,598	(+) 48
2012-13	1,46,323	1,23,803	23,834	1,003	1,48,640	(+) 22,520	(-) 2,317

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- वर्ष 2008–13 की अवधि में गैर-ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2008–09 में ₹ 78,609 करोड़ के स्तर से बढ़कर (86 प्रतिशत) वर्ष 2012–13 में ₹ 1,46,323 करोड़ तक हो गयी।
- राज्य सरकार का प्राथमिक घाटा वर्ष 2012–13 में ₹ 2,317 करोड़ से वर्ष 2008–09 में ₹ 9,138 करोड़ के मध्य रहा क्योंकि गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋणों एवं अप्रिमों की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थीं।

1.12 निष्कर्ष

● राज्य का राजकोषीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंत में राज्य सरकार के पास राजस्व आधिक्य था, साथ ही राज्य सरकार ने राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से कम तथा कुल देयताएँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 45.1 प्रतिशत से कम बनाये रखा, जैसाकि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, 2004 और द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2011 में निहित है।

● पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

वर्ष 2012–13 में पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ों में व्यापक भिन्नता थी। राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 1,45,904 करोड़) एवं राजस्व व्यय (₹ 1,40,724 करोड़) पुनरीक्षित अनुमान (राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,56,688 करोड़ एवं राजस्व व्यय ₹ 1,51,142 करोड़) से कम थे। ब्याज भुगतान और ऋण की सेवाएँ (₹ 25,182 करोड़) पुनरीक्षित अनुमान (₹ 24,760 करोड़) से अधिक थी।

● राजस्व प्राप्तियाँ

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012–13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियाँ में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्यतः कर राजस्व (10 प्रतिशत) तथा केन्द्रीय करों में राज्य के अंश (14 प्रतिशत) में वृद्धियों के फलस्वरूप थी। ₹ 1,45,904 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ पुनरीक्षित अनुमान (₹ 1,56,688 करोड़) से कम थी। कर राजस्व, जोकि राजस्व प्राप्तियाँ का मुख्य घटक है, पुनरीक्षित अनुमान द्वारा निर्धारित लक्ष्य से ₹ 2,374 करोड़ कम था।

● भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित की गयी धनराशियों की निगरानी

भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 9,632 करोड़ सीधे हस्तान्तरित की गयी। मौजूदा तंत्र यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों की पूरी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है।

● राजस्व व्यय

राजस्व व्यय वर्ष 2012–13 में वर्ष 2011–12 की तुलना में 14 प्रतिशत बढ़ गया। विगत वर्ष के सापेक्ष आयोजनागत व्यय में 14 प्रतिशत एवं आयोजनेत्तर व्यय में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनागत व्यय के अंतर्गत वृद्धि राज्य के अवसंरचना एवं सेवाओं के नेटवर्क में बढ़ोत्तरी को दर्शाता है। विगत पाँच वर्षों की अवधि में (2008–13) कुल व्यय में भी वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई।

- **लोक व्यय की पर्याप्तता**

वर्ष 2009–13 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा विकास व्यय को पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता नहीं दी गयी क्योंकि विकास व्यय का कुल व्यय के साथ अनुपात अन्य सामान्य वर्ग के राज्यों से कम था।

1.13 संस्तुतियाँ

- राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित अनुमानों एवं वास्तविक व्ययों में व्यापक भिन्नता को कम करने के लिए राजकोषीय प्रबन्धन से सम्बन्धित पर्याप्त उपाय शुरू करना तथा उसका अनवरत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- राज्य सरकार के संसाधनों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, जो कि अनुत्पादक व्यय से बचने पर आधारित हो, किया जाना चाहिये और साथ ही टिकाऊ एवं लाभप्रद सेवाओं की सुपुर्दग्गी भी सुनिश्चित करनी चाहिये।
- राज्य सरकार द्वारा विकास व्यय को बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना के लिए राजकोषीय प्राथमिकता दी जानी चाहिए।